रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 1973 (फाल्गुन 12, 1894)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 1973 (PHALGUNA 12, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III— खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया

कृषि ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-18 दिनांक 6 फरवरी 1973

सं० ए सी डी/आई एन एस पी/4/ई०(जी ई एन)-72/3 रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया इसके जरिए निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायें, अर्थात :

1 "मद्रास स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मद्रास" शब्दों के स्थान पर "तामिलनाडु स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

2 "वेस्ट बंगाल प्राविन्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कलकत्ता" शब्दों के स्थान पर "वेस्ट बंगाल स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कलकत्ता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

पी० एन० डमरी, उप गवर्नर

स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 24 जनवरी 1973

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री एम० वी० भागवत केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में 24 जनवरी, 1973 से शाखा-निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये ।

टी० आर० वरदाचारी, प्रबन्ध-निदेशक

स्टेट बैंक आफ़ पटियाला

प्रधान कार्यालय,

पटियाला, दिनांक 1 फरवरी 1973

सं० एस०बी०ओ०पी०-4:—इस नोटिस द्वारा बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं परिवर्तन की सूचना दी जाती है :—

1. श्री ए० एस० डांग, आफिसर ग्रेड-I ने तिथि 12-12-72 बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से तिथि 15-12-72 बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय तक बाली नगर, देहली शाखा का कार्य-भार संभाला ।

एस० डी० गंडा, जनरल मैनेजर

कृषि पुनर्वित्त निगम

बम्बई, दिनांक 30 नम्बर 1972

सं० जी० एस० आर०—कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 32 (2) के अनुसरण में 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष में निगम के कामकाज से सम्बन्धित बोर्ड की रिपोर्ट और निगम का 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं :

नौवीं वार्षिक रिपोर्ट 1971-72

निदेशकों को 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी नौवीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है । आलोच्य वर्ष में निगम ने कृषि विकास की योजनाएं स्वीकार करने और सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों की योजनाओं का तकनीकी समांगता (साउंडनेस) तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए सहायता करने में और अधिक प्रगति की है। निगम ने लगातार चौथे वर्ष लाभ कमाया है । कराधान की अपनी देनदारी की व्यवस्था करने के बाद, निगम भारत सरकार से आर्थिक सहायता लिये बिना अपने शेयरों के पहले हजरे पर 4 1/4 प्रतिशत का सांविधिक लाभांश और दूसरे हजरे पर 4 1/2 प्रतिशत का लाभांश अदा कर सका है। निगम को लाभांश की देनदारी पूरी करने के पहले 1971-72 में 40.45 लाख रुपयों का शुद्ध लाभ हुआ जब कि इसके मुकाबले 1970-71 में उसे 28.11 लाख रुपयों का शुद्ध लाभ हुआ था।

1 जुलाई 1963 को अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 1972 तक 711 योजनाओं के लिए निगम द्वारा स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 405 करोड़ रुपये थी जब कि 30 जून 1971 को 458 योजनाओं के लिए यही राशि 293 करोड़ रुपये थी । निगम के वायदों की कुल राशि में भी वृद्धि हुई है । यह राशि 30 जून 1971 को 249 करोड़ रुपये थी और वह जून 1972 के अंत में बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गई है । इस वर्ष वितरित किए गए पुनर्वित की राशि 34.98 करोड़ रुपये है और इस प्रकार जून 1972 के अंत तक निगम द्वारा वितरित किये गये पुनर्वित की कुल राशि बढ़कर 124.69 करोड़ रुपये हो गई है ।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विश्व बैंक की एक संबद्ध संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) द्वारा कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेशों के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने का उल्लेख किया गया था। इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऐसी तीन और कृषि ऋण परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है जिनके लिए निगम के जरिए निधियां दी जाएंगी । इनमें मसूर और महाराष्ट्र राज्यों की कृषि ऋण परियोजनाएं और बिहार राज्य की एक कृषि विपणन परियोजना शामिल हैं । इस विषय का और अधिक उल्लेख इस रिपोर्ट में आगे किया गया है ।

कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 20 (2) के अनुसार निगम की उधार लेने की क्षमता उसकी अपनी चुकता पूंजी और रक्षित निधियों की कुल राशि की बीस गुनी है । निगम से उधार लेनेवालों के बढ़ते रहने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि निगम की शेयर पूंजी में 5 करोड़ रुपयों की वृद्धि की जाए इस प्रकार निगम की कुल चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो गई है । केन्द्रीय सरकार ने निगम के शेयरों के मूलधन और उस पर 4 1/2 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के लिए गारंटी दी है; यह लाभांश केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर पूंजी के 5 करोड़ रुपयों के पहले हजरे के लिए गारंटीकृत 4 1/4 प्रतिशत के लाभांश से 1/4 प्रतिशत अधिक है ।

संसद् द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम में अगस्त 1971 में संशोधन किया गया था ताकि निगम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रखी जानेवाली राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण ले सके । इससे निगम योग्य संस्थाओं की निधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए खुले बाजार और भारत सरकार से मिलनेवाले साधनों के अनुपूरक साधनों के रूप में उक्त निधि का सहारा ले सकता है । इसी अधिनियमन द्वारा 'मीन उद्योग' की परिभाषा को अब व्यापक बना दिया गया है ताकि उसके अन्तर्गत अंतर्देशीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के मीन उद्योग, मछली पकड़ना तथा उसके सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक कार्यकलाप शामिल किए जा सकें । इस संशोधन से कृषि पुनर्वित्त निगम समुद्री और अंतर्देशीय मीन उद्योग के विकास से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दे सकता है ।

समस्त काम-काज की समीक्षा

वित्तीय काम-काज

निगम ने 1 जुलाई 1963 को अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 1972 तक 711 योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनकी वित्तीय सहायता की राशि 404.75 करोड़ रुपये है । इस राशि में निगम के वायदे की राशि 350.79 करोड़ रुपये है । 1971-72 में स्वीकृत योजनाओं की कुल संख्या 269 थी; इनके लिए 154.24 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसमें से निगम के वायदे की राशि 135.13 करोड़ रुपये है ।

निधियों का निकाला जाना

निगम द्वारा स्वीकृत पुनर्वित की राशि योग्य संस्थाओं द्वारा अनुमोदित प्रावस्थाओं के अनुसार कई वर्षों तक निकाली जानी है। अतः वास्तविक वितरणों की राशि निगम के वायदों की कुल राशि से अपेक्षाकृत कम है। योजनाओं की स्वीकृत प्रावस्थाओं के अनुसार जिन राशियों के निकाले जाने की आशा थी, उनकी तुलना में निकाली गई निधियों की सीमा परिशिष्ट एक में दर्शायी गई है। यह दृष्टव्य है कि निगम 30 जून 1972 तक अपने वायदों के वितरणों की काफी अच्छी स्थिर दर अर्थात् 70.8 प्रतिशत कायम रख सका है। जिन परियोजनाओं—विशेषकर जिन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं—की प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जिनकी कार्यान्विति की सरलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सलाह ले ली गई है यदि राज्य सरकारें और वित्तीय सहायता देनेवाले बैंक उनकी कार्यान्विति में रुचि लें तो यह आशा की जाती है कि निगम द्वारा निधियों के वार्षिक और संचयी दोनों ही वितरणों की रफ्तार आगामी वर्षों में बढ़ जाएगी।

स्वीकृत योजनाएं

निगम की स्थापना से लेकर 30 जून 1972 तक उसके द्वारा स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य, वित्तपोषक एजेंसी और राज्य के अनुसार वितरण का उल्लेख नीचे किया गया है।

योजनाएं : उद्देश्य के अनुसार

निगम द्वारा 30 जून 1972 तक स्वीकृत की गई योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण परिशिष्ट दो में दर्शाया गया है। इस वर्ष भी लघु सिंचाई की विकास योजनाओं की प्रधानता बनी रही और वे स्वीकृत योजनाओं का 61 प्रतिशत है। इसके बाद बागान तथा बागबानी और भूमि विकास सम्बन्धी योजनाओं का स्थान आता है जो स्वीकृत योजनाओं की कुल संख्या का क्रमशः 25 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है।

निगम द्वारा दी जानेवाली सहायता के प्रकारों में अनेकता की प्रवृत्ति इस वर्ष भी बनी रही जो लघु सिंचाई की योजनाओं को छोड़कर अन्य स्वीकृत योजनाओं की संख्या में हुई वृद्धि से परिलक्षित होती है। 30 जून 1972 को गोदामों के निर्माण, मीन उद्योग, डेरी और मुर्गी पालन के विकास की योजनाओं की संख्या क्रमशः 11,13, 7 और 8 है जब कि 30 जून 1971 को इनकी संख्या क्रमशः 6, 10, 5 और 7 थी। इस वर्ष पहली बार निगम ने भेड़ पालन और अंतर्देशीय मीन उद्योग के विकास के लिए एक अलग-अलग योजना मंजूर की है।

वित्तीय सहायता की दृष्टि से विचार करने पर, निगम द्वारा मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता की 69 प्रतिशत राशि लघु सिंचाई की योजनाओं और 15 तथा 8 प्रतिशत राशियां क्रमशः भूमि विकास और बागान तथा बागबानी की योजनाओं के लिए दी गई हैं जब कि जून 1971 के अन्त में इसके मुकाबले लघु सिंचाई के निर्माण के लिए 64 प्रतिशत, भूमि विकास के लिए 19 प्रतिशत और बागानों के लिए 8 प्रतिशत राशियां दी गई थीं। गोदाम, मीन उद्योग और डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कुछ वृद्धि हुई है। गोदामों के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 30 जून 1971 के 8.29 करोड़ रुपयों से बढ़कर 30 जून 1972 को 14.54 करोड़ रुपए हो गई है। इसी प्रकार, मीन उद्योग की योजनाओं से सम्बन्धित राशि 5.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 6.35 करोड़ रुपए और डेरी की योजनाओं से सम्बन्धित राशि 1.76 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2.34 करोड़ रुपए हो गई है।

योजनाएं : वित्तपोषक एजेंसी के अनुसार

निगम द्वारा जून 1972 के अन्त तक स्वीकृत योजनाओं का प्राथमिक वित्तपोषक एजेंसियों के अनुसार वर्गीकरण परिशिष्ट तीन में दिया गया है। निगम द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता और योजनाओं की संख्या का अधिकांश लाभ केन्द्रीय भूमि विकास बैंक उठाते रहे। इसके साथ ही, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों ने निगम से पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त करने में और अधिक रुचि दिखाई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जो संख्या 30 जून 1971 को 117 थी वह 30 जून 1972 को बढ़कर 193 हो गई है। इसी अवधि में राज्य सहकारी बैंकों के मामले में निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या 22 से बढ़कर 33 हो गई है। इसी प्रकार निगम के वायदों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जो अंश 30 जून 1971 को 14.89 करोड़ रुपए था वह 30 जून 1972 को बढ़कर 23.70 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य (शीर्ष) सहकारी बैंकों का अंश इसी अवधि में 11.40 करोड़ रुपयों से बढ़कर 23.01 करोड़ रुपए हो गया है।

योजनाओं का राज्यों के अनुसार वितरण

निगम द्वारा 30 जून 1972 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्यों के अनुसार वितरण परिशिष्ट चार में दिया गया है। स्वीकृत योजनाओं के प्रकारों का ब्यौरा और जिस एजेंसी के जरिए उनका वित्तपोषण किया जाने वाला है, वे भी इस परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं।

वापस ली गयीं और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाएं

1971-72 में वित्तपोषक संस्थाओं ने 8.04 करोड़ रुपयों वाली 16 योजनाएं वापस ली हैं। अधिकतर योजनाओं को वापस लेने का प्रमुख कारण यह था कि निगम द्वारा पहले से स्वीकृत योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं विशेषकर उन राज्यों में जहां अन्तर्राष्ट्रीय

विकास संघ परियोजना ऋण की शर्तों के अधीन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था । बैंकों द्वारा कुछ योजनाएं इसलिए वापस ले ली गई हैं क्योंकि उधार लेनेवालों की संपत्ति के स्वामित्वाधिकार के बारे में अड़चनें हैं और पार्टियां उनके प्रति उदासीन हैं ।

इस वर्ष पहले से स्वीकृत 103 योजनाएं फिर से प्रावस्थाबद्ध की गई हैं । इनमें से, 54 योजनाओं को इसलिए फिर से प्रावस्थाबद्ध करना पड़ा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं के अधीन बैंकों द्वारा दिए गए वचनों के अनुसार ऋण की शर्तों में संशोधन किया गया है । शेष योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं की लागत में कटौती करनी पड़ी है । क्योंकि उधारकर्त्ताओं ने उनमें आवश्यक रूचि नहीं दिखाई । कुछ योजनाओं की अवधि बढ़ाने और उनके लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है । वापस ली गई और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाओं का विवरण परिशिष्ट पांच में दिया गया है । निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं की समग्र स्थिति परिशिष्ट छः में दर्शायी गई है ।

वास्तविक सफलताएं

पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि निगम द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से उन आस्तियों के निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा जिनसे देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा । 30 जून 1972 को समाप्त हुई अवधि के लिए वित्तपोषक बैंकों से जो अधूरी रिपोर्टें प्राप्त हुई है उनके आधार पर यह अंदाजा लगाया गया है कि 9,14,000 से अधिक एकड़ की जिस वर्षा सिंचित भूमि पर एक फसल उगाई जाती थी उसे अब लघु सिंचाई योजनाओं के अधीन अनेक फसल उगाने वाली सिंचित भूमि में बदल दिया गया है, या बदला जा रहा है; 57,421 नलकूपों और 67,860 खुदाई वाले कुओं का निर्माण हो चुका है या हो रहा है और बिजली तथा डीजल दोनों के 1,31,778 पम्पसेटों को नए और पहले से वर्तमान कुओं पर लगाया गया है । नलकूपों का विकास कार्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में शुरू किया गया है । खुदाई वाले कुओं का निर्माण कार्य विशेषकर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है ।

निगम द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से प्रमुख नहर व्यवस्थाओं के अधीन 7,89,289 एकड़ तक की भूमि को आकार प्रकार देने का कार्य किया गया है । इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य कार्यान्वित कर रहे हैं । इसके अलावा, महाराष्ट्र में भूमि संरक्षण [बागानी खेती (ड्राई फ़ार्मिंग)] के अधीन 5,17,000 एकड़ भूमि का विकास किया गया है ।

बागानों और फलोद्यानों की विकास योजनाओं के अधीन कृषि पुनर्वित्त निगम के पुनर्वित्त की सहायता से नारियल के लिए 14,619 एकड़ काफी के लिए 13,940 एकड़, सेब के लिए 14,379 एकड़, रबड़ के लिए 3,850 एकड़, चाय के लिए 3,455 एकड़, इलायची के लिए 3,945 एकड़, और नीबू की जातिवाले फलों तथा आम, संतरे, अंगूर और अनन्नास जैसे दूसरे फलों के लिए 6,615 एकड़ भूमि का विकास किया गया है ।

मीन उद्योग योजनाओं के कारण केरल, मैसूर और तमिलनाडु के राज्यों में 411 यंत्रचालित नौकाओं का निर्माण किया जा सका है । आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य-प्रदेश और मैसूर के काश्तकारों ने लगभग 1,105 ट्रेक्टर और तराई बीज परियोजना के अधीन उत्तर प्रदेश के काश्तकारों ने 540 ट्रेक्टर और कटाई की संयुक्त मशीनें (कम्बाइन्स) खरीदी हैं । पंजाब में 2,06,000 मीटरी टन की भंडार क्षमतावाले 129 गोदामों और गुजरात में 2,000 मीटरी टन की भंडार क्षमतावाले 4 गोदामों का निर्माण किया गया है । जून 1972 के अंत में हरियाणा में 30 गोदाम और मैसूर में 11 गोदाम निर्माण के विभिन्न चरणों में थे । हरियाणा और महाराष्ट्र में डेरी योजनाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा लगभग 1,800 दुधारू पशु खरीदे गये हैं । मुर्गीपालन की योजनाओं के अधीन 34,200 चूजों की खरीद के लिए और 23 मुर्गीखानों तथा उपकरणों के निर्माण के लिए भी पुनर्वित्त प्रदान किया गया है ।

इस वर्ष का काम-काज

स्वीकृत योजनाएं

1971–72 के दौरान कृषि पुनर्वित्त निगम ने 269 योजनाएं स्वीकृत की हैं । इनमें वे 32 योजनाएं शामिल हैं जो पहले स्वीकृत की गयी थीं पर अब वे मूल योजनाओं के अधीन शेष कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजना ऋणों के अधीन कर दी गयी हैं । इन 269 योजनाओं के अधीन कुल वित्तीय सहायता की राशि 154 करोड़ रुपये होती है जिसमें से निगम के वायदों की राशि 135 करोड़ रुपये है । योजनाओं के उद्देश्य, वित्तपोषक एजेंसी और राज्य के अनुसार वितरण का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है ।

योजनाएं : उद्देश्य के अनुसार

नीचे की सारणी में इस वर्ष के दौरान स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वितरण दर्शाया गया है । इस संबंध में 30 जून 1972 की संचयी स्थिति परिशिष्ट दो में देखी जा सकती है ।

अवधि : जुलाई 1971 से 30 जून 1972

करोड़ रुपये

योजनाओं के प्रकार	योजनाओं की संख्या	उधार लेने वालों को दी गई कुल ऋण सहायता	वित्तपोषक बैंकों को निगम के द्वारा दिये गये वायदे की राशि	राज्य सरकारों बैंकों के वायदे की राशि
लघु सिंचाई	198	116.30	104.80	12.00
भूमि विकास	13	10.44	7.90	2.54
बागान और बागवानी	40	11.00	8.36	2.64
मुर्गीपालन	4	0.08	0.06	0.02
डेरी	2	0.66	0.55	0.11
गोधाम	5	9.43	9.17	0.26
मीन उद्योग	3	0.81	0.59	0.22
फार्म मशीनीकरण	2	4.76	3.63	1.13
भेड़पालन	1	0.51	0.38	0.13
भूमि संरक्षण	1	0.25	0.19	0.06
	269	154.24	135.13	19.11

निगम के उधार देने के कार्यकलापों में लघु सिंचाई योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान बना रहा और 1971–72 में स्वीकृत योजनाओं में से 74 प्रतिशत योजनाएं लघु सिंचाई के निर्माण कार्यों के लिए हैं। इस वर्ष स्वीकृत इन योजनाओं के अधीन 68,648 खुले कुओं और 55.771 नलकूपों का निर्माण या नवीकरण किया जाना है और 90.762 डीजल और बिजली के पम्पसेटों की खरीद के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जहां आवश्यक है वहां भूमि को समतल बनाने और जिन क्षेत्रों में इन कुओं से सिंचाई की जानी है वहां पानी पहुंचाने वाली नहरों का निर्माण करने के लिए पुनर्वित्त भी प्रदान किया जाएगा। ये योजनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जानी हैं। इस वर्ष स्वीकृत 13 भूमि विकास योजनाओं के अधीन नागार्जुनसागर, पोचमपाड (आंध्र प्रदेश), फोड़, गंगापुर और पूर्णा (महाराष्ट्र) नेय्यर, कन्नानूर और एर्नाकुलम जिलों (केरल) की अन्य छोटी परियोजनाओं, चंबल (राजस्थान) और परम्बिकुलम अलियार परियोजना (तमिलनाडु) के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 2,75,636 एकड़ भूमि का विकास किया जाना है। बागान और बागवानी की 40 योजनाओं के अधीन काफी, चाय, रबड़, इलायची, नारियल, सुपारी, सेब, अनन्नास, अंगूर, संतरा और आम के लिए 26,980 एकड़ भूमि का विकास किया जाना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर और पंजाब में निगम द्वारा स्वीकृत 5 भंडार योजनाओं के अधीन 4,55,800 मीटरी टन की भंडार क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाएगा। मुर्गीपालन की चार योजनाओं के अधीन 18,000 अंडे देने वाली मुर्गियां और पक्षी पाले जाने हैं। महाराष्ट्र, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में मीन उद्योग के लिए स्वीकृत 3 योजनाओं के अधीन मछुओं द्वारा 94 यंत्रचालित नौकाएं खरीदी जानी हैं। 2 डेरी योजनाओं के अधीन, उनसे लाभ पाने वाले व्यक्तियों द्वारा 4,060 दुधारु पशु प्राप्त किये जाने हैं। फार्म-मशीनीकरण की 2 योजनाओं के अधीन बिहार में 500 ट्रेक्टर और गुजरात में 800 ट्रेक्टर दिये जायेंगे। तमिलनाडु के लिए स्वीकृत एक भेड़ पालन योजना के अधीन उसका लाभ पाने वाले व्यक्तियों द्वारा 81,396 भेड़ें और 2,036 मेढ़े पाले जाने हैं और केरल के लिए स्वीकृत भूमि संरक्षण की 1 योजना के अधीन 1,000 एकड़ भूमि का उद्धार किया जाना है।

योजनाएं : वित्तपोषक एजेंसी के अनुसार

इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का वित्तपोषक एजेंसी के अनुसार वितरण नीचे दिया गया है :

अवधि : 1 जुलाई 1971 से 30 जून 1972 तक

करोड़ रुपये

वित्तपोषक एजेंसियां	योजनाओं की संख्या	उधार लेने वालों को दी गई कुल ऋण सहायता	वित्तपोषक बैंकों को निगम के द्वारा दिये गये वायदे की राशि	राज्य सरकारों बैंकों के वायदे की राशि
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	176	131.23	115.12	16.11
राज्य सहकारी बैंक	11	11.76	11.03	0.73
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	82	11.25	8.98	2.27
	269	154.24	135.13	19.11

केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कार्यान्वित के लिए स्वीकृत 176 योजनाओं में से 143 लघु सिंचाई कार्यों, 19 बागान और बागबानी, 12 भूमि विकास और 1 भूमि संरक्षण और 1 फार्म मशीनीकरण के लिए थीं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जरिए पुनर्वित्त प्रदान की जाने वाली 82 योजनाओं में से 55 लघु सिंचाई कार्यों, 20 बागान और बागबानी, 4 मुर्गीपालन और विकास और डेरी, मीन उद्योग और फार्म मशीनीकरण के लिए एक-एक थी।

जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक आरम्भिक वर्षों में मुख्यतः बागान और बागबानी की विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए ही पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहते थे वे पिछले कुछ वर्षों से और अधिक विविध स्वरूप की विकास योजनाएं, विशेषकर लघुसिंचाई सम्बन्धी योजनाएं, प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। 1970-71 में वाणिज्य बैंकों को लघु सिंचाई की 4 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी थी। इसके मुकाबले 1971-72 में उन को 55 लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है।

राज्य सहकारी बैंकों के जरिए वित्तपोषण की जाने वाली 11 योजनाओं में से 5 गोदामों के निर्माण, 2 मील उद्योग और डेरी, भूमि विकास, बागबानी तथा भेड़पालन के लिए एक-एक है।

30 जून 1972 तक वित्तपोषक एजेंसी के अनुसार स्वीकृत योजनाओं का वितरण परिशिष्ट तीन में देखा जा सकता है।

योजनाएं : राज्य के अनुसार

1971-72 के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का राज्य के अनुसार वितरण नीचे दिया गया है और उक्त योजनाओं का 30 जून 1972 तक का विवरण परिशिष्ट चार में दिया गया है।

अवधि : 1 जुलाई 1971 से 20 जून 1972

करोड़ रुपये

राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या	उधार लेने वालों को दी गई कुल ऋण सहायता	वित्तपोषक बैंकों को निगम के द्वारा दिये गये वायदे की राशि	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे की राशि
आंध्र प्रदेश	48	17.17	14.10	3.07
असम	2	0.46	0.38	0.08
बिहार	1	1.25	1.00	0.25
गुजरात	20	16.22	14.07	2.15
हरियाणा	25	15.56	14.34	1.22
हिमाचल प्रदेश	1	0.39	0.29	0.10
केरल	13	3.41	2.56	0.85
मध्य प्रदेश	14	9.48	8.77	0.71
महाराष्ट्र	36	6.65	4.97	1.68
मैसूर	22	15.24	13.14	2.10
नागालैंड	1	0.30	0.30	—
उड़ीसा	2	1.02	0.80	0.22
पांडिचेरी	2	0.45	0.38	0.07
पंजाब	7	7.75	6.90	0.85
राजस्थान	16	11.28	9.77	1.51
तमिलनाडु	22	17.13	15.22	1.91
उत्तर प्रदेश	33	30.15	27.84	2.31
पश्चिम बंगाल	4	0.33	0.30	0.03
	269	154.24	135.13	19.11

निगम द्वारा योग्य योजनाओं को इस वर्ष वितरित की गयी राशि 34.98 करोड़ रुपये है जब कि वह पिछले वर्ष 30.62 करोड़ रुपये थी। इसी वर्ष के दौरान किये गये वितरणों का राज्य, वित्तपोषक एजेंसी और उद्देश्य के अनुसार ब्यौरा परिशिष्ट सात में दिया गया है। निगम द्वारा योग्य संस्थाओं को 30 जून, 1972 तक किये गये संचयी वितरणों की कुल राशि का जोड़ 124.69 करोड़ रुपये है।

इस वर्ष 13 योग्य संस्थाओं ने वापसी अदायगी के कार्यक्रम के अनुसार निगम को 50.40 लाख रुपये की वापसी अदायगी की है। इस प्रकार 30 जून 1972 तक वापसी अदायगियों की कुल राशि 1.28 करोड़ रुपये हो गयी है।

नियत तारीखों पर निगम को ब्याज की अदायगी करने या मूलधन की वापसी अदायगी किए जाने में कोई चूक नहीं हुई है।

विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) की कृषि ऋण परियोजनाएं

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ किये गये करार के जरिए अनुमोदित महाराष्ट्र और मैसूर की जिन दो कृषि ऋण परियोजनाओं और बिहार की जिस एक कृषि विपणन परियोजना का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उनको मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए पुनर्वित्त प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या 9 हो गयी है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एक परियोजना का वित्तपोषण किया जाने वाला है। अब तक अनुमोदित इन 10 परियोजनाओं के ऋणों की राशि और जिन प्रयोजनों के लिए ऋण दिये गये हैं उनको दर्शानेवाला ब्यौरा परिशिष्ट आठ में दिया गया है। इस वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गयी है।

महाराष्ट्र परियोजना

महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना करार 29 मार्च 1972 को दिया गया है। इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से 300 लाख डालर तक की सहायता मिलने की आशा है। इसमें से भारत सरकार द्वारा 254 लाख डालर की राशि कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने, खुदाईवाले कुओं, उद्वाही (लिफ्ट) सिंचाई योजनाओं, बिजली की मोटरें और डीजल आयल इन्जिनों की सप्लाई करने, घोड, गंगापुर, बोर, पूर्णा, नलगंगा और गिरना जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अधीन भूमि को समतल बनाने के लिए वित्तपोषण करने का विचार है। इस परियोजना की प्राथमिक वित्तपोषक एजेंसी महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और साथ ही इसमें भाग लेने की रुचि रखनेवाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक होंगे। इस परियोजना के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा लगायी गयी महत्वपूर्ण शर्तों में से एक शर्त यह है कि इसमें भाग लेनेवाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को चाहिए कि वे अपनी संचयी मांग की कम से कम 75 प्रतिशत वसूली कर लें। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कृषि पुनर्वित्त निगम से परामर्श करके यह वचन दिया है कि वह ऐसे प्रत्येक बैंक की स्थिती की समीक्षा करेगी जो वित्तीयकमजोरी के कारण इस परियोजना ऋण में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गये हैं और वह उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने का समुचित कार्यक्रम बनाकर परियोजन के अधीन उन्हें ऋणदाता एजेंसी के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

मैसूर परियोजना

मैसूर कृषि ऋण परियोजना करार 7 जनवरी 1972 को किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 400 लाख डालरों की सीमा तक का ऋण दिए जाने का अनुमोदन किया है और भारत सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए 367 लाख डालरों तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना में यह व्यवस्था की गयी है कि कुओं के निर्माण, उदवाही (लिफ्ट) सिंचाई योजनाओं तथा बिजली के पंपसेट लगाने और तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और चन्द्रणपल्ली जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अधीन भूमि को समतल बनाने, ट्रैक्टरों और औजारों तथा कुएं खोदने की मशीनों और मृद्वाही मशीनों की सप्लाई का वित्तपोषण किया जाए। इसके अधीन मैसूर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्राथमिक ऋणदाता एजेंसियां रहेंगे। राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि जिन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का चुनाव उनके द्वारा परियोजना ऋण दिए जाने के लिए किया गया है उनकी कालातीत राशियां उनकी मांग के 25 प्रतिशत से कम होनी चाहिए और कमजोर बैंकों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

बिहार कृषि विपणन परियोजना

बिहार कृषि विपणन परियोजना से संबंधित करार 29 मार्च 1972 को दिया गया है। परियोजना के कुल परिव्यय की अनुमानित राशि 226.40 लाख डालर है जिसमें से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाली राशि 140 लाख डालर तक होगी। कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि 128.50 लाख डालर होगी। परियोजना में बिहार में लगभग 50 कस्बों में विपणन समितियों के स्वामित्वाधिकार में रहने वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कृषि बाजारों का विकास करने के कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत विकास की मख्य मदें इस प्रकार हैं: इन बाजारों के लिए भूमि, उपस्कर, रास्ते, बाड़, उपयोगी सेवाएं और कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि। इस परियोजना के लिए प्राथमिक ऋणदाता एजेंसी स्टेट बैंक आफ इंडिया होगी।

अध्ययनगत योजनाएं

जून 1971 के अन्त में निगम 250 करोड़ रुपयों की लागतवाली 254 योजनाओं का अध्ययन कर रहा था। 1971–72 के वर्ष के दौरान निगम को 392 नयी योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों से 181 योजनाएं, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ योजनाओं में भाग

लेने वाले वाणिज्य बैंकों से प्राप्त 44 योजनाओं सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से 190 योजनाएं और राज्य सहकारी बैंकों से 21 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इस वर्ष के दौरान, निगम द्वारा 269 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और संस्थाओं द्वारा 35 योजनाएं वापस ली गयी हैं; इनमें से केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा 9, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 18 और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 8 योजनाएं वापस ली गयी हैं। इस प्रकार, जून 1972 के अन्त में 200.98 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायतावाली 342 योजनाओं पर निगम द्वारा विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा था। इन में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों से प्राप्त 132.46 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायतावाली 136 योजनाएं, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त 53.66 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायतावाली 180 योजनाएं और राज्य सरकारी बैंकों से प्राप्त 14.86 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायतावाली 26 योजनाएं शामिल हैं। 30 जून 1972 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य, वित्तपोषक एजेंसी और विकास के उद्देश्य के अनुसार वितरण परिशिष्ट नौ में दिया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि निगम को प्राप्त योजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करने में उसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड और इलायची बोर्ड से बहुमूल्य सहायता मिलती रही है।

संवर्धन के प्रयत्न

परामर्श सेवा व्यवस्था

निगम ने 9 अगस्त 1972 को एक परामर्श सेवा व्यवस्था शुरू की थी ताकि पूर्वी राज्यों की व्यवहार्य योजनाओं के तैयार किये जाने में तेजी लाने के लिए उनकी मुख्य रूप से सहायता की जा सके। परामर्श सेवा व्यवस्था को सौंपे गये मुख्य कर्त्तव्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है।

(1) वित्तीय एजेन्सियों की योजनाओं के स्थान निर्धारण, उनकी जांच-पड़ताल और उनके मूल्यांकन तथा उनके लिए कृषकों से समर्थन मांगने के साधन खोजना;

(2) वित्तीय बैंकों की जांच-पड़ताल और मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार की तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करना;

(3) जहां भूमिगत जल आदि की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी व्यवस्था नहीं है, वहां उस परिस्थिति में तकनीकी जांच-पड़ताल की व्यवस्था करने में सहायता करना;

(4) भूमि विकास बैंकों को अपने संगठन को सरल और कारगर बनाने के लिए कार्यमूल्यांकन (जाब-एवेल्यूएशन) की प्रक्रियाओं, कार्य-विधियों को सरल बनाने स्वत्वाधिकार के निर्धारण में विलम्ब से बचने और निरीक्षण कर्मचारियों के लिए मानदंडों का निर्धारण करने और उधार देने के कामकाज पर नियंत्रण रखने में सहायता देना।

इस वर्ष परामर्श सेवा व्यवस्था ने लघु सिंचाई, बागबानी और बागान, डेरी, मीन उद्योग, भूमि विकास और फार्म मशीनीकरण जैसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को तैयार करने में राज्य के विभागों और सहकारी तथा वाणिज्य दोनों ही बैंकों को सहायता पहुंचाई है।

छोटे किसान की विकास एजेंसी और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की एजेंसी

निगम, छोटे किसानों की विकास एजेंसी (एस० एफ० डी० ए०) और सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर एजेंसी (एम० एफ० ए० एल० ए०) द्वारा प्रायोजित तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं के लिए योग्य संस्थाओं के जरिए, विशेष मामले के बतौर, 30 जून, 1972 तक शत प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गये हैं। इन योजनाओं को और अधिक गति प्रदान करने के लिए निगम ने अब यह निश्चित किया है कि यह सुविधा 30 जून 1973 तक और बढ़ा दी जाए। निगम ने 30 जून 1972 के अंत तक छोटे किसानों की विकास एजेंसी द्वारा प्रायोजित लघु सिंचाई की 15 विकास योजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। इनके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 5, मध्य प्रदेश की 4, आंध्र प्रदेश की 3 और हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की एक-एक योजनाएं हैं। इन योजनाओं की कुल वित्तीय लागत 14.37 करोड़ रुपये है। निगम ने सीमांत किसान और कृषि मजदूर एजेंसी के अन्तर्गत पांडिचेरी संघशासित क्षेत्र में लघु सिंचाई की एक विकास योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना की वित्तीय सहायता की राशि 16 लाख रुपये है। यह आशा की जाती है कि इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया भविष्य में और अधिक स्पष्ट होकर सामने आएगी। निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के उप-निदेशक छोटे किसानों की विकास एजेंसी और सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर एजेंसी की ऐसी योजनाएं तैयार करने में हर संभव सहायता करेंगे जो निगम के विचारार्थ भेजी जाती है।

प्रकाशन

इस वर्ष निगम ने वित्तपोषक बैंकों के उपयोग के लिए 'फार्म निवेशों का वित्तीय मूल्यांकन' (फाइनेंशियल अप्रैजल ऑफ फार्म इन्वेस्टमेंट) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस में वित्तपोषक बैंकों के उपयोग के लिए फार्म-निवेशों के छः महत्वपूर्ण प्रकारों के अलग-अलग अथवा क्षेत्रवार मूल्यांकन के मार्गदर्शी सिद्धांत दिये गये हैं।

वाणिज्य बैंक

निगम ने क्षेत्रीय विकास के आधार पर वाणिज्य बैंक द्वारा प्रायोजित लघु सिंचाई योजनाओं के मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अपने प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता का स्वयं अध्ययन कर लें और योजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता की रिपोर्टों के साथ उन्हें निगम के पास भेज दें। यह आशा है कि इस उपाय से निगम को प्रस्तावों की ठीक ढंग से जांच करने में जितना समय लगता है वह कम हो जाएगा और साथ ही बैंकों को परियोजना मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञता का स्वयं निर्माण करने में प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकों को मोटे तौर पर उन विषयों की सूचना दी गयी है कि जो तकनीकी विशेषज्ञों के विचारार्थ भेजे जाने हैं।

सामान्य

विगत वर्षों के समान ही निगम के अध्यक्ष, साथ ही प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों ने, इस बात को बढ़ावा देने के लिए कि नयी योजनाएं तैयार की जाएं और पहले से स्वीकृत योजनाओं की कार्यान्विति में तेजी लाई जाए, राज्य और वित्तीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बम्बई स्थित बैंकर्स प्रशिक्षण कालेज और पूना स्थित सहकारी बैंकर्स प्रशिक्षण कालेज वाणिज्य और सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लाभ के लिए कृषि के वित्तपोषण पर जो पाठ्यक्रम चलाते हैं, उनके दौरान निगम के अधिकारियों ने भाषण देकर और अध्ययन गोष्ठियां आयोजित करके उक्त कालिजों को सहायता पहुंचाई है। परियोजना ऋण देने के सम्बन्ध में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने में भी निगम वाणिज्य बैंकों और भूमि विकास बैंकों का साथ देता रहा है।

ऋण नीति

लघु सिंचाई योजना

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 30 जून 1972 तक निगम द्वारा अनुमोदित जिन लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा विशेष विकास डिबेंचर जारी किये जायेंगे उनमें राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले अंशदान में 10 प्रतिशत की कटौती किए जाने की रियायत दी गई है। देश में कृषि के विकास के लिए इस वर्ष की योजनाओं के महत्व को देखते हुये यह रियायत लघु सिंचाई की उन सभी योजनाओं के लिए लागू की गयी है जो निगम द्वारा 30 जून 1974 तक स्वीकृत की जाएं।

प्रशासन और लेखे

क्षेत्रीय कार्यालय

चंडीगढ़ में स्थित निगम का क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की योजनाओं पर कार्रवाई करता रहा। इस वर्ष हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से प्राप्त होने वाली योजनाओं की जांच करने के लिए चंडीगढ़ में एक और क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है जिससे निगम के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 14 हो गयी है। यह संख्या महाराष्ट्र राज्य के लिए बम्बई में स्थित एक यूनिट के अलावा है। इस वर्ष निगम के बढ़े हुए कारोबार को निपटाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

शेयर पूंजी का जारी किया जाना

निगम ने इस वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपयों के अपने शेयरों की दूसरी श्रेणी जारी की है जिससे उसकी कुल प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो गयी है। तिरासी सदस्यों ने शेयरों की इस दूसरी श्रेणी के लिए अंशदान किया है। इनमें 20 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने पहली बार शेयर लिये हैं और इस प्रकार वे निगम के नये सदस्य हो गये हैं। इस वर्ष के दौरान शेयरों की पहली श्रेणी में से एक शेयर लेकर एक और राज्य सहकारी बैंक अर्थात् नागालैंड सहकारी बैंक लिमिटेड निगम का सदस्य बन गया है। 30 जून 1972 तक निगम की शेयर पूंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों के अंशदान निम्नलिखित हैं :—

लाख रुपये

संस्था	किस धारा के अंतर्गत शेयर लिये हैं	पहली श्रेणी			दूसरी श्रेणी		
		शेयरधारियों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों का मूल्य	शेयरधारियों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों का मूल्य
रिजर्व बैंक आफ इंडिया	5(2)(क)	1	2,500	250.00	1	2,500	250.00
	5(4)		438	43.80		113	11.30
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	5(2)(ख)	18	705	70.50	15	948	94.80
राज्य सहकारी बैंक	5(2)(ख)	23	653	65.30	14	439	0
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	5(2)(ग)	41	590	59.00	52	907	90.70
भारतीय जीवन बीमा निगम	5(2)(ग)	1	100	10.00	1	93	9.30
अन्य बीमा और निवेश कम्पनियां	5(2)(ग)	2	12	1.20	—	—	
सहकारी बीमा समितियां	5(2)(ग)	2	2	0.20	—	—	—
		88	5,000	500.00	83	5,000	500.00

30 जून 1972 को जो शेयरधारी हैं, उनकी सूची परिशिष्ट दस में दी गयी है। अब निगम की कुल शेयरधारियों की संख्या बढ़कर 198 हो गयी है जब कि 30 जून 1971 के अंत में यह संख्या 87 थी।

लेखे

परिशिष्ट तेरह में दिये गये लेखों के विवरण से यह देखा जा सकता है कि कर की देनदारी पूरी करने के बाद निगम को विनियोजन के लिए जो वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ है उसकी राशि 40,45 लाख रुपये है। यह राशि वित्त अधिनियम के अधीन अनुमत वर्तमान लाभ के 10 प्रतिशत के बराबर की 10.95 लाख रुपयों की राशि को विशेष रक्षित निधि में डालने की व्यवस्था करने के बाद निकलती है। इसमें पिछले साल से आगे लिए गए अवतरित लाभ की राशि के 964.06 रुपये भी शामिल हैं। आपके निदेशकों के नीचे लिखे अनुसार लाभ का विनियोजन करने की सिफारिश की है।

	रुपये
रक्षित निधि को अंतरित राशि	9,92,000.00
शेयरों की पहली श्रेणी के शेयरधारियों को दिया गया 4 1/4 प्रतिशत वार्षिक लाभांश	21,25,000.00
शेयरों की दूसरी श्रेणी के शेयरधारियों को दिया गया 4 1/2 प्रतिशत वार्षिक लाभांश	9,28,278.69
अवतरित रहने दिया गया लाभ	315.28
कुल	40,45,593.97

निदेशक बोर्ड

इस वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की आठ बैठकें हुई हैं।

निदेशकों की ओर से
पी० एम० डमरी
अध्यक्ष

25 अगस्त 1972

परिशिष्ट एक

निकाली गयी निधियां

करोड़ रुपये

वर्ष	वर्ष के अंत में ऐसी स्वीकृत योजनाओं की संख्या जिनको पूरा किया जा रहा है	प्रावस्थाक्रम (फेजिंग) के अनुसार योजनाओं के लिए निगम के वायदे		अभिदत्त डिबेंचर और कृषि पुनर्वित्त निगम से निकाले गये ऋण		1963–64 से अब तक निकाली गई राशियों के वायदे से प्रतिशत	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त तक	वर्ष के दौरान	1971–72 वर्ष अंत तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1963–64 . .	3	—	—	—	—	—	—
1964–65 . .	13	4.47	4.47	0.45	0.45	10.1	10.1
1965–66 . .	36	8.28	8.73	4.45	4.90	53.7	56.1
1966–67 . .	42	9.40	14.30	2.08	6.98	22.1	48.8
1967–68 . .	128	18.50	25.48	5.67	12.65	30.6	49.6
1968–69 . .	233	45.94	58.59	17.84	30.49	38.8	52.0
1969–70 . .	371	61.66	92.15	28.60	59.09	46.4	64.1
1970–71 . .	458	66.58	125.67	30.62	89.71	46.0	71.4
1971–72 . .	711	*86.33	176.04	34.98	124.69	40.5	70.8

*इसमें अप्रैल और जून 1972 में स्वीकृत योजनाओं के लिए वे वायदे शामिल नहीं हैं जिन पर बैंक वर्ष के दौरान रुपया नहीं निकाल सके।

निकाली गयी निधियों का राज्य, एजेंसी और उद्देश्य के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	30-6-72 तक निकाली जा सकने वाली रकम	30-6-72 तक निकाली गई रकम	4 से 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	12.72	8.30	65.3
		भूमि विकास	12.39	11.72	94.6
		बागान/बागबानी	0.14	0.10	71.4
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	0.09	—	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	0.50	0.30	60.0
		भूमि विकास	0.25	—	—
		मुर्गी पालन	0.01	0.01	100.0
		डेरी	0.004	—	—
			26.10	20.43	78.3
असम	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	1.28	1.05	82.0
बिहार	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	5.97	2.04	34.2
		भूमि विकास	2.95	0.56	19.0
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	0.09	—	—
			9.01	2.60	28.9
दिल्ली	राज्य सहकारी बैंक	मुर्गी पालन	0.12	0.06	50.0
गुजरात	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	9.72	7.52	77.4
		बागबानी	0.22	0.22	100.0
		फार्म-मशीनीकरण	2.63	0.14	5.3
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	0.02	0.02	100.0
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागबानी	0.06	—	—
			12.65	7.90	62.5
हरियाणा	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	11.53	10.00	88.7
		बागबानी	0.41	0.30	73.2
		फार्म-मशीनीकरण	0.37	0.37	100.0
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	0.67	0.15	22.4
		गोदाम	0.76	0.29	38.2
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1.58	1.43	90.5
			15.32	12.54	81.9

निकाली गयी निधियों का राज्य, एजेंसी और उद्देश्य के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	30-6-72 तक निकाली जा सकने वाली रकम	30-6-72 तक निकाली गई रकम	4 से 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	बागबानी	1.19	0.71	59.7
केरल	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	0.45	0.45	100.0
		भूमि विकास	0.12	—	—
		बागान/बागवानी	0.70	0.46	65.7
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	0.55	0.48	87.4
		मुर्गीपालन	0.24	—	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	1.08	0.91	84.3
			3.14	2.30	73.2
मध्य प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	5.86	3.25	55.5
		भूमि विकास	0.11	0.11	100.0
		फार्म-मशीनीकरण	0.43	0.22	51.2
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	0.03	—	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	0.03	—	—
			6.46	3.58	55.4
महाराष्ट्र	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	13.42	9.54	71.1
		भूमि विकास	2.36	1.98	83.9
		बागबानी	0.90	—	—
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	0.79	—	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1.03	0.74	71.8
		मीन उद्योग	0.01	0.01	100.0
		डेरी	0.01	—	—
			18.52	12.27	66.3
मैसूर	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	4.72	2.71	57.4
		भूमि विकास	6.14	3.63	59.1
		बागान/बागबानी	2.79	1.38	49.5
	राज्य सहकारी बैंक	बागबानी	0.87	0.23	26.4
		मीन उद्योग	1.43	1.35	94.4
		गोदाम	0.58	0.14	24.1
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	0.10	0.10	100.0
		फार्म-मशीनीकरण	0.04	0.04	100.0
		बागान	0.90	0.69	76.7
		मुर्गीपालन	0.30	—	—
			17.60	10.27	58.3

निकाली गयी निधियों का राज्य, एजेंसी और उद्देश्य के अनुसार वितरण

ख.. करोड़ रुपये

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	30-6-72 तक निकाली जा सकने वाली रकम	30-6-72 तक निकाली गई रकम	4 से 5 तक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
नागालैंड	राज्य सहकारी बैंक	भूमि विकास	0.10	—	—
उड़ीसा	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि विकास	0.24	0.10	41.7
		बागान/बागबानी	0.44	0.26	59.1
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागबानी	0.03	—	—
			0.71	0.36	50.7
पांडिचेरी	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	0.09	—	—
पंजाब	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	20.49	17.98	87.8
		भूमि विकास	0.46	0.35	76.1
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	5.69	4.15	72.9
			26.64	22.48	84.4
राजस्थान	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	3.76	2.33	62.0
		भूमि विकास	0.44	0.10	22.7
		बागबानी	0.06	—	—
			4.26	2.43	57.0
तमिलनाडु	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	12.56	7.35	58.5
		भूमि विकास	4.22	4.19	99.3
		बागान/बागबानी	0.46	0.38	82.5
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	0.30	0.03	10.0
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	0.04	—	—
		बागान/बागबानी	0.94	0.82	87.2
		मुर्गी पालन	0.01	—	—
			18.53	12.77	68.9
उत्तर प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	11.78	10.85	92.1
		बागान/बागबानी	0.03	—	—
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	0.78	0.47	60.3
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	1.20	1.20	100.0
		डेरी	0.24	0.24	100.0
			14.03	12.76	90.9
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	0.05	—	—
		बागबानी	0.09	0.04	44.4
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	0.08	0.07	87.5
		बागान	0.06	0.06	100.0
		मीन उद्योग	0.01	0.01	100.0
			0.29	1.18	62.1
		कुल जोड़	176.04	124.69	70.8

परिशिष्ट दो

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	कृषि पुनर्वित्त निगम से निकाले गए ऋण और निगम के द्वारा अभिदत्त डिबेंचर
		राशि	कुल राशि से प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7
लघु सिंचाई का विकास	434	278.00	68.68	249.81	28.19	84.96
भूमि विकास	53	62.17	15.36	47.56	14.61	21.99
ट्रैक्टरों और शक्तिचालित हलों से फार्म-मशीनीकरण	5	6.07	1.50	4.61	1.46	0.77
भूमि संरक्षण	3	2.41	0.60	2.14	0.27	1.95
बागानों और बागबानी का विकास	176	31.83	7.86	25.29	6.54	7.61
मुर्गीपालन	8	0.53	0.13	0.52	0.01	0.07
मीन उद्योग विकास	13	6.35	1.57	4.53	1.82	1.88
डेरी विकास	7	2.34	0.58	1.87	0.47	0.39
भांडार सुविधाओं का विकास	11	14.54	3.59	14.08	0.46	5.07
भेड़ पालन	1	0.51	0.13	0.38	0.13	—
	711	404.75		350.79	53.96	124.69

परिशिष्ट तीन

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का वित्तपोषक एजेन्सियों के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

वित्तपोषक एजेंसी का प्रकार	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के वायदे	राज्य सरकारों और बैंकों के वायदे	निगम से निकाले गये ऋण और निगम के द्वारा अभिदत्त डिबेंचर
		राशि	कुल राशि से प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय भूमि विकास बैंक	485	349.34	86.31	304.08	45.26	109.64
राज्य सहकारी बैंक	33	25.79	6.37	23.01	2.78	7.37
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	193	29.62	7.32	23.70	5.92	7.68
	711	404.75		350.79	53.96	124.69

परिशिष्ट चार

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का एजेंसी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	निगम से निकाले गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	कुल से प्रतिशत
				राशि	कुल राशि से प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	82	23.19		20.14	3.05	8.30	
		भूमि विकास	17	18.68		15.23	3.45	11.72	
		बागान/बागबानी	1	0.25		0 19	0.06	0.10	
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	1	0.37		0.26	0.11	—	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	15	2.30		1.98	0.32	0.30	
		भूमि विकास	1	0.50		0.25	0.25	—	
		डेरी	1	0.01		0.01	—	—	
		मुर्गी पालन	2	0.02		0.02	—	0.01	
			120	45.32	11.20	38.08	7.24	20.43	16.38
असम	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	बागबानी	1	0.05		0.04	0.01	—	
	राज्य सहकारी बैंक	बागबानी	1	0.06		0.06	—	—	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	9	1.49		1.30	0.19	1.05	
			11	1.60	0.40	1.40	0.20	1.05	0.84
बिहार	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	5	9.61		8.65	0.96	2.04	
		भूमि विकास	1	5.68		4.26	1.42	0.56	
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	2	0.70		0.53	0.17	—	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	फार्म-मशीनीकरण	1	1.25		1.00	0.25	—	
			9	17.24	4.26	14.44	2.80	2.60	2.09
दिल्ली	राज्य सहकारी बैंक	मुर्गीपालन	1	0.12	0.03	0.12	—	0.06	0.05
गुजरात	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	47	30.44		27.39	3.05	7.52	
		बागबानी	2	0.29		0.22	0.07	0.22	
		फार्म-मशीनीकरण	1	3.51		2.63	0.88	0.14	
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	1	0.02		0.02	—	0.02	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागबानी	1	0.06		0.06	—	—	
			52	34.32	8.48	30.32	4.00	7.90	6.34

परिशिष्ट चार (चालू)

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का एजेंसी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	निगम से निकाले गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	कुल से प्रतिशत
				राशि	कुल राशि से प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	20	19.26		17.33	1.93	10.00	
		बागबानी	2	0.54		0.41	0.13	0.30	
		फार्म-मशीनीकरण	1	0.50		0.37	0.13	0.37	
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	2	1.30		1.08	0.22	0.15	
		गोदाम	3	5.41		5.41	—	0.29	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	14	4.34		3.89	0.45	1.43	
			42	31.35	7.75	28.49	2.86	12.54	10.06
हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	बागबानी	1	0.39	0.10	2.29	0.10	—	—
जम्मू और काश्मीर	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	बागबानी	3	1.80	0.44	1.35	0.45	0.71	0.57
केरल	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	1	0.50		0.45	0.05	0.45	
		भूमि विकास	3	1.01		0.76	0.25	—	
		भूमि संरक्षण	1	0.25		0.19	0.06	—	
		बागान/बागबानी	11	4.37		3.28	1.09	0 46	
	राज्य सहकारी बैंक	मुर्गीपालन	1	0.30		0.30	—	—	
		मीन उद्योग	1	0.75		0.56	0.19	0.48	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	18	1.38		1.28	0.10	0.91	
			36	8.56	2.11	6.82	1.74	2.30	1.84
मध्य प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	28	27.31		24.87	2.44	3.25	
		भूमि विकास	1	0.15		0.11	0.04	0.11	
		फार्म-मशीनीकरण	1	0.76		0.57	0.19	0.22	
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	1	0.26		0.20	0.06	—	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	2	0.18		0.14	0.04	—	
		मुर्गीपालन	1	0.01		0.005	0.05	—	
			34	28.67	7.08	25.89	2.78	3.58	2.87

परिशिष्ट चार (चालू)

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का एजेंसी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	निगम से निकाले गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	कुल से प्रतिशत
				राशि	कुल राशि से प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	26	15.31		13.78	1.53	9.54	
		भूमि विकास	6	1.94		1.46	0.48	0.03	
		भूमि संरक्षण	2	2.17		1.95	0.22	1.95	
		बागबानी	2	1.20		0.90	0.30	—	
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	4	1.71		1.22	0.49	—	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	28	3.77		2.74	1.03	0.74	
		मीन उद्योग	1	0.03		0.01	0.02	0.01	
		डेरी	1	0.03		0.01	0.02	—	
		बागबानी	2	0.57		0.46	0.11	—	
		मुर्गीपालन	1	0.04		0.03	0.01	—	
			73	26.77	6.61	22.56	4.21	12.27	9.84
मैसूर	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	19	17.11		15.40	1.71	2.71	
		भूमि विकास	5	9.04		6.78	2.26	3.63	
		बागान/बागबानी	18	7.62		5.71	1.91	1.38	
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	2	2.06		1.43	0.63	1.35	
		बागबानी	2	1.65		1.65	—	0.23	
		गोदाम	2	1.52		1.12	0.40	0.14	
		लघु सिंचाई	1	0.15		0.10	0.05	0.10	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	शक्तिचालित हल/ट्रैक्टर	1	0.06		0.04	0.02	0.04	
		बागान	54	1.35		1.18	0.17	0.69	
		मुर्गीपालन	1	0.03		0.03	—	—	
			105	40.59	10.03	33.44	7.15	10.27	8.24
नागालैंड	राज्य सहकारी बैंक	भूमि विकास	1	0.30	0.07	0.30	—	—	
उड़ीसा	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि विकास	5	0.92		0.69	0.23	0.10	
		बागान/बागबानी	4	1.54		1.20	0.34	0.26	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागबानी	1	0.56		0.45	0.11	—	
			10	3.02	0.75	2.34	0.68	0.36	0.29

परिशिष्ट चार (आलू)

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का एजेंसी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता		निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	निगम से निकाले गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	कुल से प्रतिशत
				राशि	कुल राशि से प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पांडिचेरी	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	1	0.16		0.16	—	—	—
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	1	0.29		0.22	0.07	—	
			2	0.45	0.11	0.38	0.07	—	
पंजाब	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	23	28.27		25.44	2.83	17.98	
		भूमि विकास	5	4.20		3.15	1.05	0.35	
		बागबानी	4	2.61		1.96	0.65	—	
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	3	5.77		5.77	—	4.15	
			35	40.85	10.09	36.32	4.53	22.48	18.03
राजस्थान	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	23	13.48		12.24	1.24	2.33	
		भूमि विकास	3	4.07		3.05	1.02	0.10	
		बागबानी	1	0.39		0.29	0.10	—	
			27	17.94	4.43	15.58	2.36	2.43	1.95
तमिलनाडु	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	34	32.91		29.62	3.29	7.35	
		भूमि विकास	3	6.36		4.77	1.59	4.19	
		बागान/बागबानी	5	1.63		1.22	0.41	0.38	
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	2	1.13		0.82	0.31	0.03	
		भेड़पालन	1	0.51		0.38	0.13	—	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	1	0.05		0.04	0.01	—	
		बागान/बागबानी	28	1.47		1.36	0.11	0.82	
		मुर्गीपालन	1	0.01		0.01	—	—	
			75	44.07	10.89	38.22	5.85	12.77	10.24

परिशिष्ट चार (चालू)

30 जून 1972 तक निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का एजेंसी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

करोड़ रुपये

राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता राशि	वित्तीय सहायता कुल राशि से प्रतिशत	निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	निगम से निकाले गये ऋण और निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	कुल से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	61	49.13		44.97	4.16	10.85	
		बागान/बागबानी	1	0.32		0.24	0.08	—	
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	1	1.55		1.55	—	0.47	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	1	9.27		6.75	2.52	1.20	
		डेरी	1	0.30		0.24	0.06	0.24	
			65	60.57	14.96	53.75	6.82	12.76	10.23
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	2	0.29		0.27	0.02	—	
		बागबानी	2	0.13		0.10	0.03	0.04	
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	2	0.32		0.26	0.06	0.07	
		बागान	2	0.07		0.06	0.01	0.06	
		मीन उद्योग	1	0.01		0.01	—	0.01	
			9	0.82	0.20	0.70	0.12	0.18	0.14
		कुल जोड़	711	404.75		350.79	53.96	124.69	

परिशिष्ट पांच

1 जुलाई 1963 से 30 जून 1972 तक वापस ली गई और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाओं का विवरण

(क) वापस ली गई योजनाएं

लाख रुपये

वर्ष	एजेंसी का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम के वायदे
1963-4	—	—	—	—
1964-5	—	—	—	—
1965-6	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	1	6.92	5.19
1966-7	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	1	10.00	9.00
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8	108.06	108.06
1967-8	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3	35.65	35.65
1968-9	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	1	32.00	24.00
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	24.76	15.91

परिशिष्ट पांच (चालू)

1 जुलाई 1963 से 30 जून 1972 तक वापस ली गई और फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाओं का विवरण—जारी

(क) वापस ली गई योजनाएं

लाख रुपये

वर्ष	एजेंसी का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्तीय निगम के वायदे
1969-70	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	2	518.97	389.22
	राज्य सहकारी बैंक	1	8.05	7.25
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1	5.00	5.00
1970-1	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	9	344.00	273.00
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4	31.00	24.00
1971-2	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	10	790.98	608.92
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6	13.02	8.98
	जोड़ :	49	1928.41	1514.18

(ख) फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाएं (कुल लागत में वास्तविक कमी)

लाख रुपये

वर्ष	एजेंसी का प्रकार	कमी			वृद्धि		
		योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम के वायदे	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम के वायदे
1-7-1964	केंद्रीय भूमि विकास बैंक ..	17					
से	राज्य सहकारी बैंक ..	1	1079.21	851.24	—	—	—
30-6-1968	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4					
तक							
1968-9	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	13	529.28	406.27	10	188.74	169.87
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	77.60	66.20	—	—	—
1969-70	केंद्रीय भूमि विकास बैंक ..	19	1108.14	973.11	2	107.04	84.78
	राज्य सहकारी बैंक ..	1	0.32	0.32	2	11.00	54.20
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक ..	8	7.87	14.97	—	—	—
1970-1	केंद्रीय भूमि विकास बैंक ..	67	1928.00	1707.00	—	—	—
	राज्य सहकारी बैंक ..	1	8.00	5.00	3	29.00	17.00
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक ..	7	584.00	23.00	—	—	—
1971-2	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	97	3554.01	3113.04	24	424.03	380.01
	राज्य सहकारी बैंक ..	2	332.20	—	5	19.01	58.02
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक ..	4	1.98	8.02	1	0.11	—
	जोड़ : ..	243	9210.61	7168.17	47	778.93	763.88

संक्षिप्त विवरण

243 योजनाओं के लिए कमी ..		9210.61	7168.17
47 योजनाओं के लिए वृद्धि ..		778.93	763.88
कुल कमी (ख)		8431.68	6404.29
वापस की गई 49 योजनाओं में कमी (क)		1928.41	1514.18
कुल कमी क+ख		10360.09	7918.47

परिशिष्ट पांच (चालू)

(ग) फिर से प्रावस्थाबद्ध योजनाएं (केवल अवधि-विस्तार)

वर्ष	एजेंसी	योजनाओं की संख्या
1968-9	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	17
1969-70	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	35
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1
	राज्य सहकारी बैंक	1
1970-1	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	7
1971-2	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	13
		74

परिशिष्ट छः

कृषि पुनर्वित निगम द्वारा स्वीकृत योजनाएं

करोड़ रुपये

वर्ष जुलाई–जून	वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाएं–इनमें वे योजनाएं शामिल नहीं हैं जो इसी वर्ष वापस ली गई हैं	वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के लिए कुल वित्तीय सहायता	कुल वित्तीय सहायता में कृषि पुनर्वित निगम के वायदे
1963-64	3	2.72	2.45
1964-65	10	20.60	16.88
1965-66	24	17.96	14.18
1966-67	15	10.53	88.53
1967-68	89	68.16	58.64
1968-69	108	79.21	69.32
1969-70	142	92.78	70.92
1970-71	100	62.15	53.92
1971-72	269	154.24	135.13
	760	508.35	429.97
पहले के वर्षों में स्वीकृत पर फिर से प्रावस्थाबद्ध 290 तथा वापस ली गई 49 योजनाओं के कारण 30-6-1972 तक हुई कुल कमी :	49	103.60	79.18
जोड़	711	404.75	350.79

परिशिष्ट सात

राज्य, वित्तपोषक एजेंसी योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा डिबेंचरों में अभिदान की गई राशि और निगम से निकाले गए ऋण

लाख रुपये

राज्य का नाम	वित्तपोषक एजेंसी	योजना का स्वरूप	जारी किए गए डिबेंचरों और जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	निगम द्वारा डिबेंचरों में अभिदान और निगम से निकाले गए ऋण	राज्य सरकारों और बैंकों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	206.84	186.16	20.68
		भूमि विकास	85.50	64.12	21.38
		बागबानी	6.00	4.50	1.50
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	30.00	30.00	—
			328.34	284.78	43.56
असम	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	32.00	32.00	—
बिहार	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	48.47	43.62	4.85
		भूमि विकास	31.30	23.48	7.82
			79.77	67.10	12.67
गुजरात	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	275.00	247.50	27.50
		फार्म-मशीनीकरण	19.00	14.25	4.75
			294.00	261.75	32.25
हरियाणा	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	217.50	195.75	21.75
		बागबानी	4.75	3.56	1.19
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	28.55	28.55	—
		डेरी	15.36	15.36	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	83.00	83.00	—
			349.16	326.22	22.94
जम्मू और काश्मीर	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	बागबानी	9.00	6.75	2.25

आगे जारी

परिशिष्ट सात

राज्य, वित्तपोषक एजेंसी और योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा डिबेंचरों में अभिदान की गयी राशि और निगम से निकाले गये ऋण

लाख रुपये

राज्य का नाम	वित्तपोषक एजेंसी	योजना का स्वरूप	जारी किये गए डिबेंचरों और जुटाये गए ऋणों की कुल राशि	निगम द्वारा डिबेंचरों में अभिदान और निगम से निकाले गये ऋण	राज्य सरकारों और बैंकों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
केरल	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	24.79	22.31	2.48
		बागान/बागबानी	22.68	17.01	5.67
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	48.00	48.00	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	9.72	9.72	—
			105.19	97.04	8.15
मध्य प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	182.32	164.09	18.23
		भूमि विकास	1.76	1.32	0.44
		फार्म-मशीनीकरण	29.64	22.23	7.41
			213.72	187.64	26.08
महाराष्ट्र	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	424.57	382.11	42.46
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	74.16	74.16	—
			498.73	456.27	42.46
मैसूर	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	152.00	136.80	15.20
		भूमि विकास	86.10	64.58	21.52
		बागान/बागबानी	61.90	46.43	15.47
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	14.13	14.13	—
		मीन उद्योग	10.20	10.20	—
		बागबानी	12.05	12.05	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	40.82	40.82	—
			377.20	325.01	52.19
उड़ीसा	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि विकास	7.90	5.92	1.98
		बागान/बागबानी	2.50	2.03	0.47
			10.40	7.95	2.45

आग जारी

परिशिष्ट सात

राज्य, वित्तपोषक एजेंसी और योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार 30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा डिबेंचरों में अभिदान की गयी राशि और निगम से निकाले गये ऋण

लाख रुपये

राज्य का नाम	वित्तपोषक एजेंसी	योजना का स्वरूप	जारी किये गए डिबेंचर और जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	निगम द्वारा डिबेंचरों में अभिदान और निगम से निकाले गये ऋण	राज्य सरकारों और बैंकों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
पंजाब	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	217.85	196.07	21.78
		भूमि विकास	42.00	31.50	10.50
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	166.00	166.00	—
			425.85	393.57	32.28
राजस्थान	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	86.10	77.50	8.60
		भूमि विकास	6.95	5.21	1.74
			93.05	82.71	10.34
तमिलनाडु	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	346.25	311.62	34.63
		भूमि विकास	39.45	29.59	9.86
		बागान/बागबानी	11.81	8.86	2.95
	राज्य सहकारी बैंक	बागान	19.02	19.02	—
			416.53	369.09	47.44
उत्तर प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	569.09	524.99	44.10
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	46.80	46.80	—
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	8.54	8.54	—
		डेरी	24.00	24.00	—
			648.43	604.33	44.10
पश्चिम बंगाल	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	3.06	3.06	—
		लघु सिंचाई	1.22	1.22	—
		मीन उद्योग	0.80	0.80	—
			5.08	5.08	—
		कुल जोड़	3877.25*	3498.09*	379.16

*यह राशि वर्ष के दौरान संस्थाओं द्वारा वापस की गई, 9.20 लाख रु० की राशि कम करने के बाद आई है।

परिशिष्ट आठ

क

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कृषि परियोजनाएँ

परियोजना का नाम	परियोजना की लागत		अं० पु० और विकास बैंक (आई० बी०आर०डी०) अं० वि० संघ (आई०डी०ए०) से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
1. तराई बीज परियोजना (अ०पु० और विकास बैंक)	22,390,000	1,679.00	13,000,000	975.00	9,000,000	675.00
2. गुजरात कृषि ऋण परियोजना (अ० वि० संघ)	65,966,000	4,947.50	35,000,000	2,625.00	34,700,000	2,602.50
3. पंजाब कृषि ऋण परियोजना (अ० वि० संघ)	35,760,000	2,682.00	27,500.000	2,062.50	27,500,000	2,062.50
4. आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (अ० वि० संघ)	45,000,000	3,380.00	24,400,000	1,830.00	24,120,000	1,809.00
5. हरियाणा कृषि ऋण परियोजना (अ० वि० संघ)	44,520,000	3,339.00	25,000,000	1,875.00	25,000,000	1,875.00
6. तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना (अ०वि० संघ)	62,300,000	4,676.00	35,000,000	2,625.00	29,800,000	2,235.00
7. कृषि विमानन परियोजना (अ० वि० संघ)	8,775,000	658.10	6,000,000	450.00	3,300,000	248.00
8. महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना (अ० वि० संघ)	52,421,000	3,815.00	30,000,000	2,183.00	25,401,000	1,849.00
9. मैसूर कृषि ऋण परियोजना (अ० वि० संघ)	75,390,000	5,490.00	40,000,000	2,911.40	36,700,000	2,671.20
10. बिहार कृषि विपणन योजना (अ० वि० संघ)	22,640,000	1,648.19	14,000,000	1,160.80	12,850,000	935.48
जोड़ :	435,162,000	32,314.79	249,900,000	18,697.70	228,371,000	16,962.68

ध्यान दीजिए : वितरण के रुपयों का जो सममूल्य दर्शाया गया है वह करार की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर के अनुसार है ।

ख

विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजनाओं का विवरण

1

तराई बीज परियोजना

परियोजना का नाम	परियोजना की लागत		अं० पु० और विकास बैंक/अ०वि० संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
फार्म विकास	14,610,000	1,096.00	7,596,000	570.00	7,596,000	555.75
खाद्य संरक्षण संयंत्र (प्रोसेसिंग प्लांट)	2,970,000	223.00	541,000	40.00	541,000	73.50
विद्युतीकरण	810,000	60.00	261,000	20.00	261,000	45.75
विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त व्यवस्था	—	—	602,000	45.00	602,000	—
उर्वरक	4,000,00	300.00	4,000,000	300.00	—	—
जोड़ :	22,390,000	1,679.00	13,000,000	975.00	9,000,000	675.00

2 **गुजरात कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
लघु सिंचाई	54,666,000	4,100.00	27,300,000	2,047.50	27,300,000	2,047.50*
फार्म मशीनीकरण	11,000,000	825.00	7,400,000	555.00	7,400,000	555.00
परामर्श-सेवाएं	300,000	22.50	300,000	22.50	—	—
जोड़ :	65,966,000	4,947.50	35,000,000	2,625.00	34,700,000	2,602.50

*इसमें फालतू पुर्जों के लिए 72 लाख रुपयों की व्यवस्था शामिल है जो भारत सरकार के जरिए दी जाएगी ।

3 **पंजाब कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयो में
आयातित ट्रैक्टर और फालतू पुर्जे	25,200,000	1,890.00	24,000,000	1,800.00	24,000,000	1,800.00
आयातित स्वचालित कटाई मशीन और उसके फालतू पुर्जे	747,000	56.00	600,000	45.00	600,000	45.00
*आयातित चक्कतियों (डिस्क) और हलों के निचले भाग	9,333,000	700.00	1,200,000	90.00	1,200,000	90.00
ट्रैक्टर चालित कटाई की मशीन और पुर्जे	480,000	36.00	500,000	37.50	500,000	37.50
विनिधान न की गई राशियां	—	—	1,200,000	90.00	1,200,000	90.00
जोड़ :	35,760,000	2,682.00	27,500,000	2,062.50	27,500,000	2,062.50

*यह मार्च 1972 में चक्कतियों के लिए आयातित इस्पात के स्थान पर किया गया संशोधन है ।

4 **आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
लघु सिंचाई के लिए ऋण	26,600,000	2,000.00	14,000,000	1,050.00	14,000,000	1,050.00
भूमि को समतल बनाने के लिए ऋण	9,800,000	735.00	5,240,000	393.00	5,240,000	393.00
ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के औजार	8,200,000	614.00	4,880,000	366.00	4,880,000	366.00
तकनीकी सहायता	400,000	31.00	280,000	21.00	—	—
जोड़ :	45,000,000	3,380.00	24,400,000	1,830.00	24,120,000	1,809.00

5 **हरियाणा कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
लघु सिंचाई के लिए ऋण	12,080,000	906.00	4,400,000	330.00	4,400,000	330.00
आयातित ट्रैक्टर	21,600,000	1,620.00	17,400,000	1305.00	17,400,000	1,305.00
स्वचालित कंबाइनें और ट्रैक्टर चालित कटाई की मशीनें	700,000	52.50	500,000	37.50	500,000	37.50
निम्नलिखित मशीनों के लिए शुरू में लगने वाले फालतू पुर्जे (क) ट्रैक्टर (ख) स्वचालित कंबाइन (ग) ट्रैक्टर चालित कटाई की मशीनें	2,700,000	202.50	2,700,000	202.50	2,700,000	202.50
ट्रैक्टरों के औजार	7,440,000	558.00	—	—	—	—
जोड़ :	44,520,000	3,339.00	25,000,000	1,875.00	25,000,000	1,875.00

शुरू में लगने वाले फालतू पुर्जों की बिक्री से उत्पन्न निधि का उपयोग लघु सिंचाई के लिए ऋण देने के लिए किया जाएगा ।

6 **तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
लघु सिंचाई के लिए ऋण	43,500,000	3,263.00	22,700,000	1,700.00	22,700,000	1,700.00
भूमि को समतल करने, भूमि की जलनिकासी और भूमि सुधार	3,900,000	290.00	21,00,000	160.00	2,100,000	160.00
फार्म मशीनीकरण	8,100,000	610.00	4,350,000	326.00	4,350,000	326.00
शुरू में लगने वाले फालतू पुर्जे	700,000	49.00	650,000	49.00	650,000	49.00
कुए खोदने के (ड्रिलिंग) उपस्कर और मुद्वाही मशीनरी	3,200,000	242.00	2,700,000	201.00	—	—
परामर्श-सेवाएं	2,900,000	222.00	2,500,000	189.00	—	—
जोड़ :	62,300,000	4,676.00	35,000,000	2,625.00	29,800,000	2,235.00

7 **कृषि विमानन परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
विमानों के	3,851,000	288.80	3,543,000	265.73	3,300,000	248.00
अनुषंगी उपस्कर	501,000	37.59	100,000	7.50		
विमान बदलना और विदेशी बीमा	1,342,000	100.66	1,063,000	79.73	—	—
विमानों के फालतू पुर्जे	730,000	54.74	709,000	53.17	—	—
प्रशिक्षण	657,000	49.29	65,000	4.87	—	—
विनिधान की नई राशियां	798,000	59.83	520,000	39.00	—	—
कार्यकर पूंजी का निवेश	896,000	67.19	—	—	—	—
जोड़ :	8,775,000	658.10	6,000,000	450.00	3,300,000	248.00

8 **महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
लघु सिंचाई के लिए ऋण	41,489,000	3,020.00	22,682,000	1,651.00	22,682,000	1,651.00
भूमि विकास के लिए ऋण	6,333,000	461.00	2,719,000	198.00	2,719,000	198.00
परियोजना के साज-सामान (प्रोजेक्ट इक्विपमेंट) के लिए ऋण	4,399,000	319.00	4,399,000	319.00	—	—
परामर्श-सेवाएं	200,000	15.00	200,000	15.00	—	—
जोड़ :	52,421,000	3,815.00	30,000,000	2,183.00	25,401,000	1,849.00

9. **मैसूर कृषि ऋण परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
लघु सिंचाई के लिए ऋण	25,690,000	1,872.00	13,100,000	953.50	13,100,000	953.50
ट्रैक्टरों और ट्रैक्टर के औजारों के लिए ऋण	15,690,000	1,140.00	6,700,000	487.60	6,700,000	487.60
भूमि उद्धार के लिए ऋण	21,540,000	1,568.00	10,000,000	727.90	10,000,000	727.90
भूमि उद्धार के लिए उपस्कर	8,900,000	649.00	6,900,000	502.00	6,900,000	502.20
ट्रैक्टरों और भूमि उद्धार के उपस्करों के लिए शुरु में लगने वाले फालतू पुर्जे	2,600,000	150.00	2,000,000	145.60	—	—
कुएं खोदने के उपस्कर और मुद्राही मशीनरी	1,160,000	150.00		72.80	—	—
परामर्श सेवाएं	350,000	26.00	300,000	21.80	—	—
जोड़ :	75,390,000	5,490.00	40,000,000	2,911.40	36,700,000	2,671.20

10 **बिहार कृषि विपणन परियोजना**

वर्ग	परियोजना की लागत		अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता		कृषि पुनर्वित्त निगम के जरिए प्रदान की जाने वाली राशि	
	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में	राशि अमेरिकी डालरों में	राशि लाख रुपयों में
50 बाजारों का विकास	22,640,000	1,648.19	14,000,000	1,160.80	12,850,000	935.48

ग **परियोजनाओं के पूरे किये जाने का ब्यौरा**

परियोजना	हस्ताक्षर करने की तारीख	प्रभावी तारीख	पूरे होने की तारीख
1. तराई बीज परियोजना	18.6.1969	1.9.1969	31.12.1974
2. गुजरात कृषि ऋण परियोजना	3.6.1970	14.9.1970	30.6.1974
3. पंजाब कृषि ऋण परियोजना	24.6.1970	15.9.1970	31.12.1972
4. आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना	8.1.1971	10.5.1971	30.6.1974
5. हरियाणा कृषि ऋण परियोजना	11.6.1971	2.11.1971	31.3.1975
6. तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना	11.6.1971	2.11.1971	31.12.1974
7. कृषि विमानन परियोजना	28.1.1971	25.5.1971	31.12.1974
8. महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना	29.3.1972	—	31.12.1975
9. मैसूर कृषि ऋण परियोजना	7.1.1972	—	31.10.1975
10. बिहार कृषि विपणन परियोजना	29.3.1972	31.7.1972	30.6.1978

परिशिष्ट नौ

30 जून 1972 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य, एजेंसी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

लाख रुपये

राज्य	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम का अंशदान
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	12	505.88	455.29
		भूमि विकास	2	142.00	106.50
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	3	55.39	44.31
		लघु सिंचाई (अ. वि. संघ)	20	467.77	418.14
		भूमि विकास	2	10.87	8.90
		मुर्गीपालन	3	19.62	15.69
		डेरी	3	11.63	9.45
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम	1	4.50	3.50
			46	1217.66	1061.78
असम	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	3	54.60	43.68
बिहार	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	2	97.52	78.02
		फार्म-मशीनीकरण	1	16.80	13.44
	राज्य सहकारी बैंक	गोदाम निर्माण	1	93.19	93.19
			4	207.51	184.65
दिल्ली	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	मुर्गी पालन	1	19.60	15.68
		डेरी	1	30.75	24.60
			2	50.35	40.28
गुजरात	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	7	337.52	303.77
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	गोदाम	1	15.00	12.00
		लघु सिंचाई	10	339.69	271.75
		फार्म-मशीनीकरण	1	45.00	36.00
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	1	18.40	14.85
		गोदाम	1	7.63	7.63
			21	763.24	646.00

आगे जारी

परिशिष्ट नौ

30 जून 1972 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य, एजेन्सी और उद्देश्यों के अनुसार वितरण

लाख रुपये

राज्य	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम का अंशदान
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि विकास	2	357.24	267.75
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	2	218.34	174.67
		मुर्गी पालन	1	11.68	9.34
		डेरी	3	34.50	27.60
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	3	168.00	126.00
			11	789.52	605.36
हिमाचल प्रदेश	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1	40.60	32.48
		डेरी	1	6.12	4.90
			2	46.72	37.38
जम्मू और कश्मीर	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भेड़ पालन	1	6.82	5.45
		भूमि संरक्षण	1	12.67	10.14
			2	19.49	15.59
केरल	केंन्द्रीय भूमि विकास बैंक	बागान/बागबानी	1	21.00	15.75
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	6	25.48	20.69
		डेरी	1	6.00	4.80
		मुर्गी पालन	2	8.90	6.09
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	2	125.99	94.49
			12	187.37	141.82
मध्य प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि विकास	2	116.42	87.32
		लघु सिंचाई	12	1182.04	1092.59
	अनसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	4	69.32	55.46
		लघु सिंचाई	8	332.20	265.76
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	2	111.38	81.00
			28	1811.36	1582.13

आगे जारी

परिशिष्ट नौ

30 जून 1972 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य, एजेन्सी और उद्देश्य के अनुसार वितरण

लाख रुपये

राज्य	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम का अंशदान
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	12	411.08	370.62
		भूमि विकास	1	41.00	30.75
		बागबानी	3	34.43	25.82
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	गोदाम	1	4.00	3.20
		लघु सिंचाई	20	375.49	300.38
		मीन उद्योग	1	17.00	13.60
		मुर्गी पालन	6	18.48	15.78
		फार्म-मशीनीकरण	1	18.00	14 40
		डेरी	2	15.89	11.94
			47	935.37	786.49
मेघालय	राज्य सहकारी बैंक	डेरी लघु कृषक विकास एजेंसी (एस० एफ० डी०)	1	7.77	3.26
मैसूर	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	6	1570.25	1555.40
		बागान/बागबानी	4	158.75	121.25
		भूमि विकास	3	157.94	140.44
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	बागान	7	1018.76	816.70
		डेरी	1	6.00	4.80
		लघु सिंचाई	14	91.47	73.17
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	2	361.55	307.95
			37	3364.72	3019.71
उड़ीसा	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	2	23.03	20.62
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	2	41.79	33.43
		बागबानी	1	53.00	42.40
	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	1	19.30	14.18
		डेरी	1	20.00	13.33
			7	157.12	123.96

आगे जारी

परिशिष्ट नौ

30 जून 1972 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य, एजेंसी और उद्देश्य के अनुसार वितरण

लाख रुपये

राज्य	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम का अंशदान
1	2	3	4	5	6
पांडिचेरी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	डेरी	1	22.50	18.00
		लघु सिंचाई	1	31.10	24.88
			2	53.60	42.88
पंजाब	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	6	1368.00	1331.20
		भूमि विकास	5	230.50	207.45
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	फार्म-मशीनीकरण	1	37.00	33.30
		लघु सिंचाई	4	520.20	415.96
		गोदाम	1	90.00	72.00
		डेरी	1	20.00	16.00
		मुर्गी पालन	1	11.68	9.34
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	4	306.00	229.50
			23	2583.38	2314.75
राजस्थान	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	14	1740.51	1566.46
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	3	214.91	171.93
			17	1955.42	1738.39
तमिलनाडु	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	15	1644.94	1480.44
		ट्रैक्टर	1	474.40	355.80
		बागान	1	8.00	6.00
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	2	211.16	168.93
		डेरी	3	35.84	28.80
		मीन उद्योग	1	7.75	6.20
		बागबानी/बागान	5	192.52	152.41
			28	2574.61	2198.58

आगे जारी

परिशिष्ट नौ

30 जून 1972 को निगम के विचाराधीन योजनाओं का राज्य, एजेंसी और उद्देश्य के अनुसार वितरण

लाख रुपये

राज्य	एजेंसी	उद्देश्य	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त निगम का अंशदान
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	लघु सिंचाई	20	2447.39	2202.65
		बागबानी	2	163.90	122.92
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1	14.54	11.63
		फार्म-मशीनीकरण	3	72.15	57.72
	राज्य सहकारी बैंक	डेरी	5	173.05	129.78
			31	2871.03	2524.70
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय भूमि विकास बैंक	भूमि विकास	1	98.40	73.80
		बागान/बागबानी	2	11.55	8.66
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	3	22.21	17.76
			6	132.16	100.22
गोवा, दमन और दियू के संघशासित क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक	मीन उद्योग	1	68.75	44.46
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1	8.00	6.40
			2	76.75	50.86
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	कृषि विमानन	10	238.29	174.42
		कुल जोड़	342	20098.04	17436.89

परिशिष्ट बस

30 जून 1972 को शेयरधारियों की सूची

(क) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया

(ख) केन्द्रीय भूमि विकास बैंक

1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
6. जम्मू और काश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लि०
7. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
8. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
9. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
10. मैसूर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
11. उड़ीसा राज्य सहकारी भमि विकास बैंक लिमिटेड
12. पाँडिचेरी राज्य सहकारी भूमि बंधक बक लिमिटेड
13. पंजाब राज्य सहकारी भुमि बंधक बैंक लिमिटेड
14. राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
15. तमिलनाडु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
16. त्रिपुरा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
17. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
18. पश्चिम बंगाल केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लि०

(ग)

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाना राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
13. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मैसूर राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
15. नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
16. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. पाँडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
23. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित बैंक, बीमा और निवेश कम्पनियां तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं

(i) भारतीय जीवन बीमा निगम

(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. इलाहाबाद बैंक
2. अमेरिकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन*
3. दि आन्ध्र बैंक लिमिटेड
4. बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एन्ड सेविंगज एसोसियेशन*
5. बैंक आफ बड़ौदा
6. बैंक आफ इण्डिया
7. दि बैंक आफ कराड लिमिटेड*
8. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
9. बैंक आफ महाराष्ट्र
10. दि बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड*
11. दि बैंक आफ टोकियो लिमिटेड*
12. बैंके नेशनल डी पेरिस*
13. बरेली कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड*
14. दि बेलगाम बैंक लिमिटेड*
15. दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
16. कनारा बैंक
17. केथॉलिक सीरियन बैंक लिमिटेड*
18. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
19. दि चार्टर्ड बैंक
20. कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड
21. देना बैंक
22. दि फेडरल बैंक लिमिटेड*
23. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड*
24. हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड*
25. दि हाँगकाँग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
26. इंडियन बैंक
27. इंडियन ओवरसीज बैंक
28. दि कर्नाटक बैंक लिमिटेड
29. दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड*
30. कृष्णाराम बलदेव बैंक लिमिटेड
31. कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक
32. दि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड*
33. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड*
34. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
35. नारंग बैंक आफ इंडिया लिमिटेड*
36. नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड
37. दि नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
38. दि न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड
39. दि ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स लिमिटेड*
40. पंजाब नेशनल बैंक
41. दि पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड
42. दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड
43. दि सांगली बैंक लिमिटेड
44. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
45. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
46. स्टेट बैंक आफ इंडिया
47. स्टेट बैंक आफ इन्दौर
48. स्टेट बैंक आफ मैसूर
49. स्टेट बैंक आफ पटियाला
50. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
51. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
52. दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
53. सिण्डीकेट बैंक
54. दि तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
55. यूनियन बैंक आफ इंडिया
56. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
57. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड
58. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड*
59. दि विजय बैंक लिमिटेड*
60. दि वैश्य बैंक लिमिटेड

*नये सदस्य

(iii) बीमा और निवेश कम्पनियां

1. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. दि सरस्वती इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(iv) अन्य वित्तीय संस्थाएं

1. दि को-ऑपरेटिव फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस सोसायटी लि०
2. को-ऑपरेटिव जनरल इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड

परिशिष्ट ग्यारह

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त निगम के 30 जून, 1972 तक के संलग्न तुलनपत्र और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ-हानि लेखे की जाँच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि—

(1) हमें जिस जानकारी और जिन स्पष्टीकरणों की जरूरत थी, वे सब हमने प्राप्त कर लिये हैं और वे संतोषजनक पाये गये हैं ।

(2) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये अनुसार यह तुलनपत्र पूर्ण और सही है और इसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा यह तूलनपत्र निगम के अधिनियम और सामान्य विनियमों के अनुसार उचित ढंग से इस तरह तैयार किया गया है ताकि इससे निगम के कार्यों की सच्ची और सही हालत का पता लग सके ।

9 अगस्त, 1972
49, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई

के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

परिशिष्ट

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1972 को

देयताएं	रु० पै०	रु० पै०	30-6-71 को रु० पै०
1. पूंजी			
प्राधिकृत पूंजी . . .		25,00,00,000.00	25,00,00,000.00
प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 25,000 शेयर जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 10,000 प्रदत्त शेयर . . .		10,00,00,000.00	5,00,00,000.00
2. रक्षित निधि और अधिशेष			
रक्षित निधि			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार बकाया	*22,84,000.00		9,09,000.00
जोड़िये : (i) वर्तमान लाभ की दस प्रतिशत अंतरित राशि . . (वित्त अधिनियम 1971 के अधीन)	10,95,000.00		6,90,000.00
(ii) लाभ हानि लेखे से अंतरित राशि	9,92,000.00	43,71,000.00	6,85,000.00
लाभ-हानि लेखा . . .			22,84,000.00
आगे लाया गया लाभ . .	964.06		94.47
इस वर्ष का लाभ . . .	40,44,629.91		28,10,869.59
	40,45,593.97		28,10,964.06
घटाइये : रक्षित निधि को अंतरित राशि .	9,92,000.00		6,85,000.00
	30,53,593.97		21,25,964.06
लाभांश की व्यवस्था के लिये अंतरित राशि	30,53,278.69		21,25,000.00
		315.28	964.06
3. विशेष जमा . . .		98,99,468.10	86,50,393.10
4. गारंटीकृत लाभांश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई राशि (अधिनियम की धारा 6) . . .		14,13,896.05	14,13,896.05
5. बांड और डिबेंचर			
5½ प्रतिशत कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982	10,93,77,000.00		
पहली श्रेणी			
दूसरी श्रेणी			
5½ प्रतिशत कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982			
दूसरी श्रेणी . . .	8,52,50,000.00		
5½ प्रतिशत कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1984 (तीसरी श्रेणी) . .	8,25,00,000.00		
		27,71,27,000.00	19,46,27,000.00
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण			
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन .	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00
(ख) अन्य ऋण . . .	72,13,14,010.00		61,75,00,000.00
		77,13,14,010.00	66,75,00,000.00
आगे ले जाया गया जोड़ . . .		116,41,25,689.43	92,44,76,253.21

बारह
निगम
तुलन-पत्र

आस्तियां			30-6-1971
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1. नकदी			
(क) हाथ में . . .	2,196.85		2,524.42
(ख) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास .	1,68,048.32		10,00,48,522.61
(ग) दूसरों के पास			
(i) भारत में . .	37,607.88		39,513.35
(ii) विदेश में . .	—		—
		2,07,853.05	
			10,00,90,560.38
2. ऋण			
(क) पुनर्वित्त के रूप में . .	13,77,20,659.00		7,69,46,749.00
(ख) अन्य . . .	—		—
घटाइये : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था . . .	—		—
		13,77,20,659.00	
			7,69,46,749.00
3. डिबेंचर		1,09,63,78,700.00	81,23,94,700.00
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में (लागत पर) निवेश . . .		—	2,01,463.10
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज . .		—	2,015.40
आगे ले जाया गया जोड़ . . .	13,79,28,512.05	123,43,07,212.05	98,92,25,502.47

परिशिष्ट
कृषि पुनर्वित्त
30 जून को

देयताएं	रु० पै०	रु० पै०	30-6-71 को रु० पै०
आगे लाया गया जोड़ . .		1,16,41,25,689.43	92,44,76,253.21
7. अन्य उधार			
(क) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार			
(i) दीर्घकालीन उधार .	5,00,00,000.00		—
(ii) अल्पकालीन उधार .	3,38,69,000.00		7,52,00,000.00
		8,38,69,800.00	7,52,00,000.00
(ख) दूसरों से लिये गये उधार .			—
(i) भारत में . .		—	
(ii) विदेश में . .		—	—
8. सावधिक जमा			
(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का		—	—
(ख) दूसरों का . .		—	—
9. लाभांशों की व्यवस्था			
लाभ-हानि लेखें से अंतरित की गई राशि .	30,53,278.69		21,25,000.00
जोड़िये : अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 28 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा की जानेवाली अदायगी (देखिये दुतरफा लाभांश घाटा लेखा)	—	—	—
		30,53,278.69	21,25,000.00
10. कराधान की व्यवस्था . .		42,71,878.62	16,50,225.62.
11. अन्य देयताएं . . .			
फुटकर लेनदार . . .		23,01,473.78	11,44,629.48
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज, जो देय नहीं है—			
(क) केंद्रीय सरकार से लिये गये ऋण		92,86,640.43	86,40,616.45
(ख) बांड और डिबेंचर . .		47,89,926.01	36,17,980.18
आकस्मिक देयतायें— . .			
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिये आस्थगित अदायगी पर दी गई गारंटी के बाबत .		—	—
(ख) अन्य मदें . .			
जोड़ . .	127,16,98,686.96		101,68,54,704.94

*इसमें वित्तीय अधिनियम 1971 के अनुसार अतिरिक्त रक्षित निधि के 6,90,000 रुपये भी शामिल हैं।

एस० एम० दे
निदेशक, लेखा और निधि
बम्बई, 9 अगस्त, 1972

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के० एस० अय्यर एण्ड कं०
सनदी लेखाकार

*परिशिष्ट ग्यारह देखें

भारत
निगम
तुलना-पत्र

आस्तियां		रु० पै०	रु० पै०	30-6-71 को रु० पै०
आगे लाया गया . . .		13,79,28,512.05	123,43,07,212.05	98,92,25,502.47
6. अन्य आस्तियां				
(क) फर्नीचर, जुड़नार, कार्यालयीन उपस्कर आदि (30-6-1971 तक का मूल्य)	4,32,049.72			1,78,304.05
जोड़िये : इस वर्ष की वृद्धि .	3,19,155.29			2,53,910.51
	7,51,205.01			4,32,214.56
घटाइये : बेची गई/समंजित मदें .	14,230.47			164.84
	7,36,974.54			4,32,049.72
घटाइये : आज की तारीख तक का ह्रास	1,55,331.61			90,370.97
		5,81,642.93		3,41,678.75
(ख) सरकारी विभागों और दूसरी संस्थाओं के पास जमाराशियां .		91,856.66		68,306.66
(ग) फुटकर अग्रिम	8,87,964.38			5,95,635.79
(घ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज	3,15,16,032.26			2,31,56,594.42
(ङ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	29,00,082.63			16,43,105.39
(च) प्रारंभिक व्यय घटाइये : इस वर्ष बट्टे खाते डाला गया .	कुछ नहीं			कुछ नहीं
(छ) लाभांश घाटा लेखा	14,13,896.05			14,13,896.05
			3,73,91,474.91	2,72,19,217.06
जोड़			127,16,98,686.06	101,68,54,704.94

पी० एन० डमरी — अध्यक्ष
के० माधवदास — प्रबंध-निदेशक

बम्बई 4 अगस्त 1972

ए० के० बस
एम० आर० पटेल
एन० ए० कल्याणी
सी० डी० दाते
} निदेशक

6—489GI/72

परिशिष्ट

कृषि पुनर्वित्त

30 जून 1972 को समाप्त हुए

		पिछला वर्ष	
	रु० पै०	रु०	पै०
1. अदा किया गया ब्याज	4,41,16,883.80	3,08,03,205.	49
2. वेतन और भत्ते	35,47,684.82	30,78,686.	55
3. कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	3,66,417.05	3,25,576.	09
4. निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस	1,600.00	1,700.	00
5. निदेशकों और समिति के सदस्यों को बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	12,760.55	10,785.	35
6. किराया, उपकर, बीमा बिजली आदि	6,13,616.81	2,29,175.	32
7. यात्रा व्यय	3,17,154.50	2,21,752.	29
8. छपाई और लेखन सामग्री	1,35,710.48	1,14,873.	89
9. डाक, तार और टेलीफोन	1,17,597.79	72,293.	53
10. संपत्ति की मरम्मत	6,027.73	3,497.	39
11. लेखा परीक्षकों की फीस	7,000.00	7,000.	00
12. कानूनी व्यय	10,249.00	18,731.	00
13. विविध व्यय	3,73,616.87	7,90,157.	09
14. मूल्य ह्रास	69,773.71	41,451.	42
15. विशेष रक्षित निधियों का अंतरण जो वित्त अधिनियम 1971 के अधीन चालू लाभ का 10 प्रतिशत है	10,95,000.00	6,90,000.	00
16. कराधान की व्यवस्था	57,50,000.00	34,36,000.	00
17. तुलन-पत्र को ले जाया गया शुद्ध लाभ	40,44,629.91	28,10,869.	59
जोड़	6,05,85,723.02	4,26,55,755.	00

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एस० एन० दे
निदेशक, लेखे और निधियां

के० एस० अय्यर एण्ड कं०
सनदी लेखाकार

बम्बई 9 अगस्त, 1972

*परिशिष्ट ग्यारह देखिए

तेरह

निगम

वर्ष का लाभ-हानि लेखा

			पिछला वर्ष
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1. प्राप्त ब्याज			
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर .	5,87,76,295.62		4,01,23,581.37
(ख) निवेशों पर (स्रोत पर काटा गया कर रु० 5,72,168.00) .	17,01,543.76		24,40,995.09
		6,04,77,839.38	4,25,64,576.46
2. भांजन, कमीशन आदि			
3. अन्य मदें			
(क) शेयर अंतरण शुल्क . .	4.00		6.00
(ख) विविध प्राप्तियां . .	10,396.71		24,265.38
(ग) वायदा प्रभार . .	97,482.93		66,907.16
		1,07,883.64	91,178.54
जोड़ . .		6,05,85,723.02	4,26,55,755.00

बम्बई 4 अगस्त, 1972

पी० एम० उमरी — अध्यक्ष

के० माधवदास — प्रबंध-निदेशक

ए० के० दत्त
एम० आर० पटेल
एम० ए० कल्याणी
सी० डी० दाते
} निदेशक

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 फरवरी 1973

सं० 4 सी०ए० (1)/24/72-73 :—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 उपधारा 1 खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्य का नाम आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्रम सं०	सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	82	श्री सोराब सापूरजी इंजीनियर, इस्माइल बिल्डिंग 381, डा० नारोजी रोड़, फोर्ट, बम्बई-1	29-1-73

दिनांक 12 फरवरी 1973

सं० 4 सी० ए० (1) :—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्य रजिस्टर में से निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्रम सं०	सं० सं०	नाम एवं तार	तिथि
1.	4409	श्री ताडपत्री गुरुराजाराव, 46, सुमिता, कोलाबा पो० ओ०के० सोमन, बम्बई-5 ।	1-7-71
2.	5938	श्री हरि नारायण घैसस, नवालकर बिल्डिंग, कनेडी ब्रिज, गिरगांम, बम्बई-4 ।	1-7-71

सी० बालकृष्णान, सचिव

दी इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता, दिनांक 24 जनवरी 1973

(कास्ट एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 18 सी० डब्ल्यू० आर० (15)/73:—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस् रेगुलेशन्स् 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इंस्टीट्यट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस् आफ इंडिया के परिषद् ने कहे हुए रेगुलेशन्स् के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी० श्रीनिवासन, बी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू ए०, कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर, नेशनल कोल डेवेलप्मेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, बैकुंठपुर, जिला—सुरगुजा, (सदस्यता संख्या —1431) के नाम को 20 जनवरी, 1973 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया गया ।

एस० एन० घोष, सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

Agricultural Credit Department Central Office

Bombay-18, the 6th February 1973

No. ACD. INSP. 4/E(GEN)-72/3.—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act, namely :—

(i) *For* the words 'Madras State Cooperative Bank Ltd., Madras' the words 'Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd., Madras' shall be *substituted;* and

(ii) *For* the words 'West Bengal Provincial Co-operative Bank Ltd., Calcutta' the words 'West Bengal State Cooperative Bank Ltd., Calcutta' shall be *substituted.*

P. N. DAMRY
Deputy Governor

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombay, the 24th January 1973

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri M. V. Bhagwat has been appointed as Branch Inspector on the Central Office staff as from the 24th January 1973.

T. R. VARADACHARY,
Managing Director

STATE BANK OF PATIALA

Head Office

Patiala, the 1st February 1973

NOTICE

SBOP. No. -4.—The following transfers and changes in the posting of supervising staff is hereby notified :—

1. Shri A. S. Dang, Officer Grade-I, held charge of Bali Nagar, Delhi branch as from the close of business on 12-12-1972 to the commencement of business on 15-12-72.

S. D. GANDA
General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-1, the 7th February 1973

No. 4-*CA*(1)/24/72-73.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from 29th January 1973, the name of Shri Sorab Shapurji Engineer of Ismail Building, 381, Dr. Naoroji Road, Fort, Bombay. (Membership No. 82)

The 12th February 1973

No. 4-*CA* (1)/25/72-73—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of prescribed fees, with effect from 1st July, 1971 the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address
1	2	3
1.	4409	Shri Tadpatri Gururaja Rao, 46, "Sumita", Opp. Colaba Post Office, Bombay-5.
2.	5938	Shri Hari Narayan Ghaisas, Nawalker Building, Kenedy Bridge, Girgaum, Bombay-4.

C. BALAKRISHNAN,
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 24th January 1973

(COST ACCOUNTANTS)

No. 18-*CWR*(15)/73.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 20th January 1973 the name of Shri P. Srinivasan, BA, AICWA, Cost Accounts Officer, National Coal Development Corporation Ltd. P.O. Baikunthpur, Dt. Surguja (Membership No. 1431)

S. N. GHOSE,
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th February 1973

No. 6(13)/69-*Estt. III*—In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 and in supersession of the Corporation's Notification No. 3(2)-2/63-Estt. *II*, dated 8-4-65, the Chairman, E.S.I. Corporation, hereby reconstitutes the Regional Board, Punjab Region, which shall consist of the following members, namely :—

1. Minister for Health and Labour, State of Punjab.	Chairman, nominated by Chairman, E.S.I. Corporation.
2. State Minister for Health and Labour, State of Punjab.	Vice-Chairman, nominated by Chairman, E.S.I. Corporation.
3. Director of Health Services, Government of Punjab, Chandigarh.	Representative nominated by the State Government.
4. Dy. Director, Health Services, (Social Insurance) Punjab, Chandigarh.	Officer directly incharge of the E.S.I. Scheme in the State *Ex-officio*.
5. Shri A.P. Mayor, President, Punjab Registered Factory Owners Association, Jullundur.	Employers representative nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
6. Shri Sewa Ram Advocate, President, I.N.T.U.C., (Punjab Branch) Pucca Bagh, Jullundur City.	Employees representative nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
7. Shri Pritmohinder Singh, Financial Commissioner and Secretary to the Govt. of Punjab, Health and Family Planning Department, Chandigarh.	Member of the E.S.I. Corporation residing in the area *Ex-officio*.
8. The Regional Director, E.S.I. Corporation, Regional Office, Punjab, Sector 19-A, Chandigarh.	Member Secretary.

No. 6(4)/69-*Estt. III* : In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 and in supersession of the Notification of Employees' State Insurance Corporation No. 2(2)-1/66-Estt. III dated the 16th September, 1968, the Chairman, Employees' State Insurance Corporation hereby reconstitutes the Regional Board, West Bengal, which shall consist of the following Members, namely:—

1. The Minister Incharge of Labour, Government of West Bengal.	Chairman, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation in consultation with the State Government.
2. The Minister Incharge of Health Department, Government of West Bengal.	Vice-Chairman, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation in consultation with the State Government.
3. Deputy Secretary, Government of West Bengal. Finance Deptt., Calcutta.	Representative, nominated by the State Government.
4. Director, E.S.I. (M.B.), Scheme, West Bengal.	Officer Incharge of the E.S.I. Scheme in the State *Ex-officio*.
5. Shri S.K. Sen, Labour Adviser, Indian Engineering Association, Royal Exchange, 6, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Employers' representative, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.

6.	Dr. Diptish Chakravarty, Deputy Chief Executive, M/s. Standard Pharmaceuticals Ltd., 67, Dr. Suresh Sarkar Rd., Calcutta-14.	Employers' additional representative nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
7.	Shri S.N. Guha Ray, M/s. Sree Saraswaty Press Ltd., 32, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-9.	Do.
8.	Shri Samar Chakraborti, Office Secretary, I.N.T.U.C. (West Bengal), 54/1B, Bakul Bagan Road, Calcutta-25.	Employees' representative, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
9.	Sree Bimal Banerjee, 15B, Sura Cross Lane, Calcutta-10.	Employees additional representative, nominated by the Chairman, E.S.I. Corporation.
10.	Sri Nanda Dulal Srimani, C/o. C.P.I. Office. 208, B.B. Ganguly Street, Calcutta-12.	Do.
11.	Shri D. Bandopadhyay, Secretary to the Govt. of West Bengal, Labour Department, Calcutta.	Member of the E.S.I. Corporation residing in the area *Ex-officio*.
12.	Shri T.N. Sidhanta, Communist Party of India, 208, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12.	Do.
13.	Shri Bishnu Banerjee, INTUC Bengal Branch, 177-B, Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta-14.	Do.
14.	Shri D.P. Mukherjee, Industrial Adviser, West Bengal, Philips India Limited, 7, Justice Chandra Madhab Road, Calcutta-20.	Do.
15.	Dr. J. Majumdar, P-5, New C.I.T. Road, Calcutta-14.	Do.
16.	Dr. Narendra Nath Bhattacharjee, 95, Akhil Mistry Lane, Calcutta-9.	Member of the Medical Benefit Council, residing in the area *Ex-officio*.
17.	Shri R.L. Moitra, Labour Adviser, Indian Jute Mills' Association, Royal Exchange, 6, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.	Do.
18.	The Regional Director, Regional Office, E.S.I. Corporation, E.S.I.C. Building, 5/1, Grant Lane, Calcutta-12.	Member Secretary.

T.C. PURI, *Director General*

REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA

Bombay-5, the 19th October 1972

No. B/Est-II-18(15).—In partial modification of this Office Notification of even number dated the 5th July and 16th October, 1971, the following amendment is made in the list of members of the Local Committee Hinganghat formed under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950.

UNDER REGULATION 10-A-1(d)

ITEM NO. 5 :

Read :

Shri A. M. Bage,
Factory Manager,
M/s. R. B. Bansilal Abirchand
Spg. & Wvg. Mill,
(U.R.S.),
Hinganghat.

For :

Shri A. H. Gokhale,
Production Manager,
M/s. R. B. Bansilal Abirchand
Spg. & Wvg. Mill,
Post Box No. 6,
Hinganghat.

BY ORDER
I. C. SARIN,
Regional Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973